[2019] 15 एस. सी. आर 1085

इंदौर विकास प्राधिकरण

वी.

मनोहर लाल और ओआरएस। ईटीसी।

(2016 की विशेष अवकाश याचिका (सी) Nos.9036-9038)

अक्टूबर 23,2019

जारून मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, वाइन सरन,

एम. आर. शाह और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

न्याय वितरण प्रणालीः अभ्यास और प्रक्रिया-न्यायाधीश का बहिष्कार-क्या कोई न्यायाधीश जिसने किसी मामले में अपनी राय व्यक्त की है।

छोटी पीठ और मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा गया है, राय के टकराव या अन्यथा के कारण, एक बड़ी पीठ में मामले की सुनवाई कर सकते हैं-आयोजितः कानून के किसी भी मुद्दे पर निर्णय देना और उसकी सुधारात्मक प्रक्रिया को न्यायाधीश के अलग होने का आधार नहीं कहा जा सकता है; अन्यथा, कोई भी न्यायाधीश समीक्षा, सुधारात्मक याचिका या बड़ी पीठ को दिए गए संदर्भ की सुनवाई नहीं कर सकता है-एक न्यायाधीश जिसने छोटे संयोजन में कोई निर्णय दिया था, उसे बड़ी पीठ का हिस्सा बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाता है जब बड़ी पीठ को संदर्भ दिया जाता है-बल्कि, विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय में एक ही न्यायाधीश/न्यायाधीशों को बड़ी बड़ी पीठों में शामिल करना एक सुसंगत प्रथा है।

(अरुण मिश्रा, जे.)

न्याय वितरण प्रणालीः अभ्यास और प्रक्रिया-आयोजित कानूनी पूर्व-स्वभाव के आधार पर अनुरोध किए गए न्यायाधीश को अलग करनाः किसी वादी द्वारा प्रचार किए गए दृष्टिकोण के पक्ष या विपक्ष में पिछले निर्णय में कोई विशेष दृष्टिकोण रखने में कुछ भी गलत नहीं है, कोई भी वादी यह नहीं चुन सकता है कि पीठ में कौन होना चाहिए-वह यह नहीं कह सकता है कि एक न्यायाधीश जिसने किसी विशेष मुद्दे पर किसी मामले का फैसला किया हो, जो बाद में उसके हित के खिलाफ जा सकता है या एक बड़ी पीठ का हिस्सा है, उसे अपने मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए-इसके अलावा, यदि कोई पक्ष या पक्षकार या पक्षकार या पक्षकार

न्यायाधीश ने किसी अन्य मामले में भी एक या दूसरे तरीके से विचार किया है, जिसमें समान मुद्दे शामिल थे, यदि न्यायाधीश ने पहले उसी न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में इसी तरह के मुद्दों का फैसला किया है, तो यह फोरम शॉपिंग के बाढ़ के द्वार खोल देगा।

-

कानूनी पूर्व-स्वभाव की एक काल्पनिक आशंका को अस्वीकार करना, वास्तव में इस अनुरोध को स्वीकार करने के बराबर होगा कि एक विशेष दृष्टिकोण रखने वाले और किसी विशेष वादी के पक्ष में झुकाव रखने वाले न्यायाधीश को पीठ का गठन करना चाहिए-यह न केवल पीठ की तलाश की अनुमति देगा, बल्कि न्यायिक अनुशासन के खिलाफ भी होगा और आम आदमी के विश्वास को नष्ट कर देगा जिसके लिए न्यायिक प्रणाली जीवित रहती है यदि निर्णय के रूप में कानूनी पूर्व-स्वभाव के आधार पर अलग होने का अनुरोध स्वीकार किया जाता है, जो एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली की इमारत को नष्ट कर देगा-पूरी न्यायिक प्रणाली ठोस संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है-रोस्टर बनाने की शक्ति मुख्य न्यायाधीश को दी जाती है। भारत सरकार ताकि वादकारी उन न्यायाधीशों का चयन करने में सक्षम न हों जिनके समक्ष उन्हें किसी मामले पर बहस करनी है, और वह एक संवैधानिक पदाधिकारी है जिसे रोस्टर बनाने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उच्चतम स्तर पर इस कार्य के साथ नियुक्त किया गया है-एक बार जब वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर लेता है, तो यह न्यायाधीशों को चुनना नहीं है-अपनी शपथ के अनुसार, उन्हें बिना किसी भय और पक्षपात के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा और बिना किसी दुर्भावना, वादियों के प्रति पूर्वाग्रह, या एक कारण के-अदालत की पीठ का दुरुपयोग करना होगा।

(अरुण मिश्रा, जे.)

अदालत का दुरुपयोगः पीठ की तलाश-न्यायाधीश को अलग करने का अनुरोध

वादियों द्वारा-आयोजितः यदि अलग होने के अनुरोधों को स्वीकार किया जाता है

यह पूछने पर, वादकारी मुख्य न्यायाधीश की रोस्टर बनाने की शक्तियों को अनैतिक रूप से अपने हाथ में ले लेंगे और यह न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप करने के समान होगा, शक्तिशाली लोगों द्वारा कई साधनों का उपयोग करके और सभी कोणों से सभी प्रकार के दबाव डालकर एक विशेष पीठ का होना-इसके अलावा, इस तरह से अलग होना।

अनुचित परिस्थितियाँ, नियम बन जाएँगे-यदि अलग किया जाता है, तो यह बेईमान वादी को जगह देने के समान होगा

अपनी पसंद का एक न्यायाधीश रखने के लिए जो उनके द्वारा प्रचार किए जाने वाले विचारों को साझा कर सके-किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता है

उक्त आड़ में-न्याय वितरण प्रणाली। (अरुण मिश्रा, जे.)

ग्रांट हैमंड, एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा न्यायिक बहिष्कार

न्यूजीलैंड के अपील न्यायालय का-संदर्भित।

इंदौर विकास

प्राधिकरण v.

मनोहर लाल और ओआरएस।

न्याय वितरण प्रणालीः न्यायाधीश का अलग होना-जिसे अलग होने का फैसला करने के लिए किसी भी वादी द्वारा बी चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना है, वह उस न्यायाधीश के लिए है जिसकी भागीदारी पर आपत्ति है।

अल आवेदन-इसके अलावा, सुनवाई की शर्मिंदगी

अलग होने के लिए तर्क एक सम्मोहक कारण नहीं होना चाहिए ई-एक न्यायाधीश के रूप में कर्तव्य के न्यायिक प्रभार के वितरण और न्यायिक निर्णय के रास्ते में कुछ भी नहीं आना चाहिए।

ए मिश्रा, जे.)

एम/एस। उजागर प्रिंट्स बनाम। भारत संघ (1986) पूरक। एससीसी

652 – पर भरोसा किया।

पुणे नगर निगम और अन्र. वी. हरकचंद

मिसिरीमल सोलंकी और अन्य। (2014) 3 एससीसी 183: [2014] 1 एससीआर 783; योगेश नीमा और अन्य। वी. मध्य राज्य

प्रदेश (2016) 6 एस. सी. सी. 387; श्री बालाजी नगर

आवासीय एसोसिएशन। वी. तमिलनाडु राज्य (2015) 3 एससीसी 353: [2014] 7 एससीआर 799; इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र (मृत) एलआर के माध्यम से। & ओआरएस। , 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 100; बॉम्बे राज्य बनाम। यूनाइटेड मोटर्स इंडिया लिमिटेड, [1953] एससीआर 1069; बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम। बिहार राज्य, [1955] 2 एस. सी. आर. 603; मेसर्स. उजागर प्रिंट्स और ओआरएस। (II) v. भारत संघ और अन्य। (1989) 3 एस. सी. सी. 488 [1988] 3 पूरक। एस. सी. आर. 770; साम्राज्य उद्योग

लिमिटेड वी. भारत संघ (1985) 3 एससीसी 314: [1985] 1 पूरक। एस. सी. आर. 292; ज्ञान देवी आनंद बनाम। जीवन कुमार

& ओआरएस। (1985) 2 एससीसी 683: [1985] 1 पूरक। एस. सी. आर. 1; गणपत लाढ़ा बनाम। शशीकांत विष्णु शिंदे (1978) 2

एस. सी. सी. 573 [1978] 3 एस. सी. आर. 198; सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 ए. आई. आर. एस. सी. 845 [1965] एस. सी. आर. 933;

दामादीलाल बनाम। पराक्रम (1976) 4 एस. सी. सी. 855: [1976] पूरक। एस. सी. आर. 645; केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य (1973) 4 एस. सी. सी 225: [1973] पूरक। एससीआर 1;

हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और अन्य। (1995) 5 एससीसी 338: [1995] 2 पूरक। एस. सी. आर. 287; खंडेलवाल मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम। संघ का भारत (1985) 3 एससीसी 620: [1985] 1 पूरक। एससीआर 750; हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और

ओआरएस। (1999) 5 एससीसी 15: [1999] 3 एससीआर 471; एम/एस। कपड़ा व्यापारी (पी) लिमिटेड बनाम अतिरिक्त सी. आई. टी., गुजरात-I, (1979)

एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3 एस. सी. सी. 538 [1979] 3 एस. सी. आर. 984; वितरक (बड़ौदा) प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ और अन्य। , (1986) 1 एससीसी 43: [1985] 1 पूरक। एससीआर 778; पेटलैड तुर्की रेड डाई वर्क्स

कं. लिमिटेड वी. आयकर आयुक्त,

बॉम्बे उत्तर, अहमदाबाद [1963] पूरक। 1

एस. सी. आर. 871; केशव मिल्स कं. लिमिटेड बनाम। के आयुक्त

आयकर, बॉम्बे उत्तर, अहमदाबाद [1965] 2 एससीआर 908; जमाल उद्दीन अहमद बनाम। अबू सालेह नजमुद्दीन (2003) 4 एस. सी. सी. 257; राज्य डब्ल्यू. बी. वी. शिवानंद पाठक, (1998) 5 एस. सी. सी. 513: [1998] 1 एससीआर 811; अशोक पांडे बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, (2018) 5 एस. सी. सी. 341: [2018] 3

एस. सी. आर. 337; उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन और ए. एन. आर. वी. भारत संघ (अलग मामला), (2016) 5 एस. सी. सी. 808: [2015] एस. सी. आर. 975; सुब्रत राय सहारा बनाम। भारत संघ और अन्य। (2014) 8 एससीसी 470: [2014] 12 एससीआर 573; आर. के. आनंद बनाम। पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय (2009) 8 एस. सी. सी. 106: [2009] 11 एस. सी. आर. 1026; कामिनी जायसवाल बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (2018) 1 एस. सी. सी. 156; बाल किशन गिरि बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 7 एससीसी 280: [2014] 6 एस. सी. आर. 545; अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनाम प्रो. कौशल के. वर्मा (2015) 220

डी. एल. टी. 446-संदर्भित।

जॉन पैट्रिक लिटकी बनाम। संयुक्त राज्य 510 यू. एस. 540

श्री एम. सी. सीतलवाड़ ने अपनी आत्मकथा "माई लाइफ, कानून और अन्य चीजें "-संदर्भित।

न्याय वितरण प्रणालीः न्यायाधीश का निष्कासन-अभ्यास

शिक्षा-पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष संदर्भ जिसमें जी शामिल हैं

मिश्रा और चार अन्य माननीय न्यायाधीश-आवेदन

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने इस आधार पर कि एक न्यायाधीश के रूप में उन्होंने एक छोटी पीठ के मामले में एक राय दी थी और अब इसे इस बड़ी पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था-जू मिश्रा ने अलग होने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया-अभिनिर्धारित कियाः (पीठ के सदस्यों के अनुसार): न्यायाधीश जिसने अंत में एक पूर्व निर्णय लिया है वह कर सकता है और बहुत बार बाद के मामले में भाग लिया है।जिस पर इस तरह के

पिछले निर्णय को पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है, वह जू 10 की भागीदारी के लिए कोई कानूनी बाधा या बाधा नहीं है।

' प्रबंधन प्राधिकरण v.

एलएएल एंड ओआरएस।

वर्तमान न्यायपीठ के गुण-दोष पर

ए.

सुनें और दिए गए संदर्भ को तय करें

ईएस-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और ए. एन. आर.) 5 एससीसी 808: [2015] एससीआर 975

बी.

कानून संदर्भ 1 , जे.

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

एस.

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

पैरा 14

संदर्भित किया गया है संदर्भित किया गया है

पैरा 15

डी.

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

उस पर भरोसा करें

पैरा 16

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

ई.

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

पैरा 19

संदर्भित किया गया है

एफ.

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

पैरा 20

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

पैरा 21

संदर्भित किया गया है

जी.

पैरा 21

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

(2003) 4 एस. सी. सी. 257

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[1998] 1 एससीआर 811

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

[2018] 3 एससीआर 337

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[2015] एससीआर 975

पै

रा 34

संदर्भित किया गया है

[2014] 12 एससीआर 573

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

[2009] 11 एससीआर 1026

संदर्भित किया गया है

पै

रा 37

(2018) 1 एससीसी 156

पै

रा 38

संदर्भित किया गया है

[2014] 6 एससीआर 545

पै

रा 39

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश याचिका

(2016 का सिविल) Nos.9036-9038

उच्च न्यायालय के 30.11.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

मध्य प्रदेश की पीठ, 2006 की रिट अपील Nos.514,799 और 772 में इंदौर की पीठ

के साथ

सिविल अपील 2015,19532-1933,19356,19362,19361,

19358 , 19357 , 19360 , 19359 , 19363 , 19364 , 19412 2017 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या। 9798-9799 2016 का 17088-17089,37375,3372,16573-16605,2016 का 34752-34753,2017 का 15890,33022,33127,33114,2018 का 30452,2019 का 16051, विशेष अनुमति याचिका (C) सं। 2016 की सी. सी. संख्या 15967,2018 की डायरी संख्या 23842,2016 की सिविल अपील में 2017 की एम. ए. संख्या 1423,2016 की सिविल अपील संख्या 10210 में 2017 की एम. ए. <आई. डी. 2,2016 की सिविल अपील में 2017 की एम. ए. <आई. डी. 4,2017 की सिविल अपील में 2018 की एम. ए. संख्या 45।

तुषार मेहता, एसजी, सुश्री पिंकी आनंद, एएसजी, अजय बंसल, एएजी /

हरियाणा, आर. बालासुब्रमण्यम, श्याम दीवान, गोपाल शंकरनारायणन, मोहन परासरन, दिनेश द्विवेदी, अनूप जॉर्ज चौधरी, ध्रुव मेहता, अनुकूल चंद्र प्रधान, शशीकिरण शेट्टी, के. एस. नामदार, रामेश्वर सिंह मलिक, जयंत मुथ राज, वी. शेखर, अनूप रॉय। चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कानू अग्रवाल, मनन पोपली, राजीव रंजन, बी. के. सतीजा, अजय बंसल, सुश्री वीणा बंसल, गौरव यादव, राजीव रंजन, सुश्री वीणा बंसल, संजय कुमार विसेन, सुश्री रचना श्रीवास्तव,

सुश्री गरिमा प्रसाद, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल वाही, अशोक अरोड़ा, शक्ति सिंह, अभिषेक आनंद राय, डॉ. सुशील बलवाड़ा, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, भरत गंगाधरन, हर्षल नारायण, इंदौर विकास प्राधिकरण और ओआरएस।

वी. मनोहर लाल और ओआरएस।

सुश्री हर्षिता रघुवंशी, वी. एम. कन्नन, सुश्री शुभ्रा कपूर, प्रमोद दयाल, निकुंज दयाल, सुश्री पायल दयाल, राकेश कुमार, अश्विनी कुमार, जोहेब हुसैन, सुश्री शशि किरण, डॉ. सतीश चंद्र, अजय प्रजापति, मनोज जैन, शंकर चिल्लरगे, (मेसर्स के लिए)।), मधु प्रकाश, ऋतुराज बिस्वास, ऋतुराज चौधरी, चंदन कुमार, प्रशांत सिंह, अंकुर तलवार, सुश्री स्निधि मेहरा, राज बहादुर यादव, अश्विनी कुमार, सुश्री सौदामिनी शर्मा, सुमित तेतरवाल, चाकितान वी. एस. पापटा, सुश्री पीहा वर्मा, जय कुमार, रविंदर नैन, सुश्री बीनू टमटा, पंकज पांडे, मनीष पालीवाल, विकास कुमार, सुश्री सुगंधा यादव, सुदिप्तो सरकार, गौरव अग्रवाल, श्रुतंजय भारद्वाज, विशाल सिन्हा, जोहेब हुसैन, अदीबा मुजाहिद, विवेक गुरनानी, सुश्री अदिति दानी।

महेश ठाकुर, शरण देव सिंह ठाकुर, सुश्री अनुप्रना बोरदोलोई, सुश्री शेफाली चौधरी, सुश्री विपाशा सिंह, शैलेश मडियाल, वैभव रमेश, सुधांशु प्रकाश, कार्तिक आनंद विजय कुमार, सुश्री फराह फातिमा, हितेश कुमार शर्मा, एस. के. राजोरा, सुश्री संध्या शर्मा, आर. के. शर्मा, जितेश मलिक, सतीश कुमार, के. वी. विजयकुमार, कमलेंद्र मिश्रा, राजीव कुमार दुबे, शशांक शेखर, सुश्री शीतल राजपूत, सुश्री रितु रेनीवाल, निपुण कत्याल, राहुल कौशिक, प्रदीप अग्रवाल, लाल प्रताप सिंह, उमेश प्रताप सिंह, अर्जुन अग्रवाल, सुश्री रुचि कोहली, कुणाल वर्मा, श्रीमती युगांधरा पवार झा, सुश्री रश्मि नंदकुमार, सुश्री आयुषमा अवस्थी, शंकर नारायणन, बी. वी. बलराम दास, चंद्र भूषण प्रसाद, प्रद्युम्न गोहिल, सुश्री तरुणा सिंह गोहिल, सुश्री रानू पुरोहित, शिवा पी., सुश्री जयक्रिती एस. जडेजा, सिद्धार्थ चौधरी, गौरव गोयल, सचिन गुप्ता, दिनेश एस. बदियार, रामेश्वर प्रसाद गोयल, पुनीत जैन, सुश्री क्रिस्टी जैन, हर्ष जैन, हर्षित खांडुजा, शैलेंद्र शर्मा, पंकज शर्मा, सुश्री प्रतिभा जैन, रितेश खत्री, अभिषेक कुमार, अजय चौधरी, सुश्री रचना श्रीवास्तव, सुदर्श मेनन, सिमरेंद्र बी., राम गुप्ता, केशव रंजन, सेंथिल जगदीशन, सुश्री सोनाक्षी मल्हन, सुश्री श्रुति चौधरी, सुश्री मृणाल कंवर, अंभोज कुमार सिन्हा,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यश पाल ढींगरा, पल्लव मोंगिया, दावनीश शक्तिवती, ए. गोयल, डॉ. एम. एस. वर्मा, सुश्री अकपना मलिक, सुश्री ऋचा वर्मा, सुश्री शशि

सिंह, रजनीश कुमार झा, मेसर्स। दिल्ली लॉ चैंबर्स, दिव्यकांत लाहोटी, मनीष कौशिक, परीक्षित आहूजा, प्रवीण बिष्ट, कार्तिक लाहोटी, के. परमेश्वर, एम. वी. मुकुंद, पी. वी. दिनेश, सुश्री सिंधु टी. पी., मुकुंद पी. उन्नी, बिनेश के., आर. एस. लक्ष्मण, अश्विनी कुमार सिंह, अनिरुद्ध देशमुख, राजेश श्रीवास्तव, के. के. त्रिवेदी, मयंक त्रिवेदी, महावीर गोडवी, रबीन मजूमदार, सौरव रॉय, हर्ष आनंद, गौरव मजूमदार, सुश्री देविका खन्ना, यश अहलावत, श्रीमती वी. डी. खन्ना, देवेंद्र सिंह, मनीष के. बिश्नोई, हीरेन दासन, अभिमान श्रेष्ठ, अभिषेक गुप्ता, मेसर्स। एस. नारायण एंड कंपनी, श्री पाल सिंह, बालाजी श्रीनिवासन, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के आदेश पारित किए गए थे

अरुण मिश्रा, जे।

1. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विकास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 की व्याख्या का प्रश्न।

पुनर्वास अधिनियम, 2013 (संक्षेप में, '2013 का अधिनियम') को इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा गया है।

2. पुणे नगर निगम में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

निगम और एन. आर. वी. हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी और अन्य। (2014) 3 एस. सी. सी. 183 ने 2013 के अधिनियम की धारा 24 की व्याख्या करते हुए एक निर्णय दिया था। योगेश नीमा और ओआरएस में। वी. मध्य प्रदेश राज्य (2016) 6 एस. सी. सी. 387, एक दो-न्यायाधीशों की पीठ ने श्री बालाजी नगर आवासीय संघ के फैसले पर संदेह व्यक्त किया। वी. तमिलनाडु राज्य (2015) 3 एस. सी. सी. 353 और मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया।

3. फिर भी एस. एल. पी. से उत्पन्न 2017 की एक अन्य सिविल अपील No.20982 में (ग) 2016 का No.2131 (इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम.

शैलेंद्र (मृत) एलआरएस के माध्यम से। & ओआरएस। , 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 100) मामले को 7.12.2017 पर एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं:

" 19. यह भी आग्रह किया गया कि यह न्यायालय कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी बाध्य है। जिन मामलों का निपटारा किया जा चुका है, उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है। जानबूझकर मुआवजे को स्वीकार नहीं करने के बावजूद और अदालत में बयान दिया जाता है कि वे किसी भी कीमत पर मुआवजा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, और वे इंदौर विकास प्राधिकरण v का विरोध कर रहे हैं।

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

मामले को बार-बार हारने के बाद और जब कार्यवाही को अंतरिम आदेशों द्वारा लगातार याचिकाएं दायर करके लंबित रखा जाता है, तो धारा 24 के प्रावधानों को ऐसे लोगों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।

जमींदार।

20. एसएलपी (सी) No.10472/2008 में धारा 24 के लागू होने के बारे में पहले से ही एक संदर्भ दिया गया है-योगेश नीमा और अन्य बनाम। एम. पी. और अन्य का राज्य। दिनांकित 12.01.2016 आदेश देखें। वहाँ हैं।

उत्पन्न होने वाले कई अन्य मुद्दे जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है लेकिन पुणे नगर निगम में उन पर विचार नहीं किया गया है। (ऊपर)।

इस प्रकार, यहाँ एक ऐसा मामला है जहाँ इस मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इस मामले को माननीय प्रमुख के समक्ष रखा जाए

उचित आदेशों के लिए भारत का न्याय "।

4. इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। शैलेंद्र (मृत) थ्र। एल. आर. & ओआरएस। (ऊपर), हममें से एक, अरुण मिश्रा, जे., आदर्श कुमार गोयल, जे. और मोहन एम. शांतनगौदर, जे. की पीठ ने मामले का फैसला किया है, और यह विचार लिया गया है कि पुणे नगर निगम (उपरोक्त) में, न्यायालय ने 2013 के अधिनियम की धारा 24 की व्याख्या के कई पहलुओं पर विचार नहीं किया। ऊपर वर्णित निर्णय को तीनों न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। हालाँकि, जैसा कि पुणे नगर निगम (उपरोक्त) समन्वय शक्ति की पीठ द्वारा एक निर्णय था, हम में से दो, अर्थात्, मैं और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, ने राय दी कि निर्णय असंगत है। हालांकि, मोहन एम।

न्यायमूर्ति शांतनगौदर ने राय दी कि मामले को एक बड़ी पीठ को भेजना उचित होगा। इंदौर विकास में बहुमत की राय

प्राधिकरण (ऊपर), तैयार किए गए प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया गया हैः

" 228. इन प्रश्नों के हमारे उत्तर इस प्रकार हैंः

प्र. नहीं। आईः - 2013 के अधिनियम की धारा 24 में 'भुगतान' शब्द का अर्थ 1894 के अधिनियम की धारा 31 (1) में 'भुगतान की निविदा' के समान है। उनका एक ही अर्थ है, और धारा 31 (2) में 'जमा' अभिव्यक्ति 2013 के अधिनियम की धारा 24 में 'भुगतान' या 1894 के अधिनियम की धारा 31 (1) में उपयोग किए गए 'भुगतान निविदा' में शामिल नहीं है। 'भुगतान'/'निविदा' और 'जमा' शब्द अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ हैं और उनके अलग-अलग अर्थ हैं। उनके गुट के भीतर।

2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) में 'भुगतान' अभिव्यक्ति में, यह आवश्यक नहीं है कि राशि को न्यायालय में जमा किया जाना चाहिए

1894 के अधिनियम की धारा 31 (2) में उपबंधित।

सी. आर. का गैर-जमा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 31 (1) के तहत दायित्व का निर्वहन किया जाता है, और यह 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत भुगतान के दायित्व के निर्वहन के बराबर है। यह उस व्यक्ति के लिए खुला नहीं है जिसने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, यह आग्रह करने के लिए कि चूंकि इसे अदालत में जमा नहीं किया गया है, इसलिए अधिग्रहण समाप्त हो गया है। दावेदार/भूमि मालिक, इनकार करने के बाद, अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकते हैं और मांग नहीं कर सकते हैं। धारा 24 (2) के प्रावधानों के तहत संरक्षण।

प्र. नहीं। II: - भूमि अधिग्रहण मामलों के तहत भौतिक कब्जा लेने का सामान्य तरीका पंचनामा निकालना है जैसा कि बांदा विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) में माना गया है।

प्र. नहीं। III: - 2013 के अधिनियम की धारा 24 के प्रावधान, वर्जित या पुराने दावों को पुनर्जीवित नहीं करते हैं, ऐसे दावों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

अदालत के अंतिम या अंतरिम आदेश के कारण या अन्यथा धारा 24 (2) के तहत कार्य करने के लिए अक्षम, ऐसी अवधि को पांच साल की अवधि से बाहर रखा जाना चाहिए जैसा कि अधिनियम की धारा 24 (2) में प्रदान किया गया है। 2013. अंतरिम आदेश की अवधि के अपवर्जन के लिए धारा 24 (2) में कोई सचेत चूक नहीं है। इस तरह के प्रावधान को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चूक कोई नहीं करती है

कानूनी स्थिति के रूप में महत्वपूर्ण अंतर।

प्र. नहीं। वीः - 2013 के अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए अन्य सामान्य कानून सिद्धांतों सहित एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट का सिद्धांत लागू होता है। अंतिम/अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि जिसके द्वारा अधिकारी 196 को कब्जा लेने से वंचित कर दिया गया है जिसे बाहर रखा जाना चाहिए। धारा 24 (2) में ऐसा कोई आवेदन नहीं है जिसमें न्यायालय ने अधिग्रहण को रद्द कर दिया हो। इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

प्रश्न Nos.2,3,4 और 5, जो तय किए गए हैं, पुणे नगर निगम (उपरोक्त) में उत्पन्न नहीं हुए। प्रश्न संख्या 2 भूमि अधिग्रहण मामलों के तहत कब्जा लेने के तरीके के संबंध में एक सामान्य प्रश्न था। शेष प्रश्न उठ खड़ा हुआ

योगेश नीमा (ऊपर)।

5. इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 21.2.2018 पर अन्य पीठों से अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे पर किसी न किसी तरह से निर्णय होने तक सुनवाई को स्थगित कर दें कि क्या मामले को बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए। या नहीं।

6. इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मामले में आदर्श कुमार गोयल, जे. की अध्यक्षता में एक खंड पीठ। श्याम वर्मा और ओआरएस। , (एस. एल. पी (ग) 2016 का No.9798) ने इस मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित करना उचित समझा ताकि मुद्दों को जल्द से जल्द एक बड़ी पीठ द्वारा हल किया जा सके।

7. <आई. डी. 1 पर, मेरे और न्यायमूर्ति अमिताव राय की एक पीठ ने हरियाणा राज्य बनाम. महाराणा प्रताप चैरिटेबल ट्रस्ट (रेग.) और अन्र. (सिविल अपील सं. 2015 का 4835) ने इस मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को बड़े मुद्दे पर विचार करने के लिए एक उपयुक्त पीठ का गठन करने के लिए भेजा। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दो खंड पीठों, अर्थात्, एक में मैं और दूसरी में न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल शामिल थे, ने मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा। माननीय, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सभी मुद्दों से उपयुक्त तरीके से निपटने के लिए एक संविधान पीठ का गठन करना उचित समझा।

8. यह मामला 6.3.2018 पर पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। संविधान पीठ ने कहा कि वह सभी पर विचार करेगी

पुणे नगर निगम (ऊपर) के निर्णय की शुद्धता और उक्त निर्णय के बाद अन्य निर्णयों के साथ-साथ इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) में दिए गए निर्णयों सहित पहलू। इस प्रकार, सभी प्रश्नों को तय करने के लिए खुला रखा जाता है। कोई विशेष प्रश्न वृहद पीठ को नहीं भेजा गया है। उसके बाद, माननीय, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने संदर्भ पर निर्णय लेने के लिए इस पीठ का गठन किया है।

9. श्री श्याम दीवान, श्री दिनेश द्विवेदी और श्री गोपाल

उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं शंकरनारायणन ने हममें से एक, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, को इस आधार पर अलग करने के लिए प्रारंभिक आपत्ति जताई है कि संविधान पीठ में [2019] 15 एस. सी. आर. में से एक शामिल है।

न्यायाधीश जो एक छोटे पैनल में थे और राय की शुद्धता को स्वतंत्र रूप से संविधान पीठ द्वारा नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि अंतिम विचार इंदौर विकास प्राधिकरण में व्यक्त किया गया है। (ऊपर) जिसमें पुणे नगर निगम (ऊपर) में निर्णय

इनक्यूरियम के अनुसार माना गया है। इस प्रकार, जिस न्यायाधीश ने इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) में मामले का फैसला किया है, वह केवल एक विशेष तरीके से मामले का फैसला करने के लिए पूर्व-निर्धारित है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस बात की उचित आशंका है कि न्यायाधीश की एक बड़ी पीठ द्वारा मामले से निपटने में कुछ पूर्वाग्रह हो सकता है। इस प्रकार, हममें से एक, अर्थात्; अरुण मिश्रा, जे. को अलग होना चाहिए। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि एक न्यायाधीश अपने फैसले पर निर्णय देने के लिए अपील में नहीं बैठ सकता है। अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से पदानुक्रमित प्रणाली के तहत सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र हैं, और पेशेवर के साथ-साथ संस्थागत अखंडता की मांग है कि एक ही व्यक्ति को नहीं करना चाहिए।

दोनों स्तरों पर न्यायाधीश बनें। जिस न्यायाधीश ने मामले का फैसला किया है, वह पिछले तर्क का समर्थन करने के लिए पूर्व-निर्धारित हो सकता है और उस मामले में, ऐसा प्रतीत होगा कि वह अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का मानना है कि इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) का निर्णय गलत है। न्यायालय या न्यायाधिकरण को अन्याय या पक्षपात से ऊपर होना चाहिए। न्यायाधीश को कदम उठाना पड़ता है

यदि वह निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान नहीं कर सकता है। संबंधित न्यायाधीश या न्यायाधीशों को खुद को माफ कर देना चाहिए और मामले में बैठने से बचना चाहिए। एक न्यायाधीश अपने स्वयं के फैसलों के खिलाफ अपील नहीं सुन सकता है।

10. इसके विपरीत, श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, श्री मोहन परासरन, श्री अनूप चौधरी और श्री विवेक तन्खा,

बात है। न्यायिक निर्णयों के मामले में पक्षपात या पूर्व-स्वभाव की याचिका आकर्षित नहीं होती है। पक्षपात या पूर्व-स्वभाव की दलील अतिरिक्त न्यायिक कारकों पर आधारित होती है। न्यायालय को जिसका उत्तर देने की आवश्यकता है, वह केवल कानून का एक शुद्ध प्रश्न है, और ऐसे अवसर भी आते हैं जब भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने एक उपयुक्त कानून का गठन करना उचित समझा है। पीठ ने एक मामले का फैसला किया। किसी भी न्यायाधीश को इस आधार पर हटाने की मांग नहीं की जा सकती है कि एक छोटी पीठ में उनके द्वारा दिए गए निर्णय पर बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना है।

इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

11. विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि एक प्रवृत्ति बढ़ रही है

किसी मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय को प्रभावित करना। अखबारों में लेख अदालत को प्रभावित करने के लिए लिखे जाते हैं। न्यायिक प्रणाली की बहुत स्वतंत्रता है यदि इस तरह के परिदृश्य में, शक्तिशाली लॉबियों द्वारा अलग होने की मांग की जाती है, और कोई भी अलग होना उस पद की शपथ को पराजित करना होगा जो एक न्यायाधीश लेता है।

12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन परासरन ने यह भी बताया है कि इस न्यायालय का अभ्यास कानून बनाता है, और न्यायाधीश जो

निर्णय लिया है कि एक छोटी पीठ के मामलों में आम तौर पर बड़ी पीठों की गणपूर्ति होती है। सवाल कानूनी सिद्धांत तय करने का है। पुनरीक्षण अधिकारिता और सुधारात्मक याचिकाओं में वही न्यायाधीश मामले की सुनवाई करता है। इस मामले में कुछ भी गलत नहीं है कि जिन न्यायाधीशों ने छोटी पीठों में मामले की सुनवाई की है, वे बड़ी पीठ का हिस्सा हैं। ऐसे मामलों में किसी भी पूर्व-स्वभाव या पूर्वाग्रह का कोई सवाल नहीं है, और इस तरह, छोटे गठन में दिया गया निर्णय अलग होने का आधार नहीं हो सकता है।

13. हमारे सामने पहला सवाल यह है कि क्या एक न्यायाधीश जिसने एक छोटी पीठ में अपनी राय व्यक्त की है और मामला भेजा गया है।

राय के टकराव के कारण या अन्यथा, एक बड़ी पीठ मामले की सुनवाई कर सकती है। इसका उत्तर खोजने के लिए, हमें इस न्यायालय के व्यवहार पर गौर करना होगा।

14. श्री एम. सी. सीतलवाड़ ने अपनी आत्मकथा 'माई लाइफ, लॉ एंड अदर थिंग्स' में अध्याय 12 में 1955 से लेकर 1955 तक की घटनाओं का उल्लेख किया है।

1969. उन्होंने एस. आर. दास, जे., जो तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, द्वारा दिए गए इस न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों में से एक का उल्लेख किया है। यह बंगाल इम्युनिटी का मामला था। 1953 में, मुख्य न्यायाधीश शास्त्री की अध्यक्षता वाली एक पीठ, जिसके न्यायमूर्ति भगवती सदस्य थे, ने निर्णय दिया कि राज्य उस राज्य में उपभोग के लिए वितरित वस्तुओं पर बिक्री कर लगा सकता है, भले ही बिक्री एक अंतर-राज्य बिक्री थी जैसा कि बॉम्बे राज्य बनाम में आयोजित किया गया था। यूनाइटेड मोटर्स इंडिया लिमिटेड, 1953 एस. सी. आर. 1069 न्याय के साथ बोस और न्यायमूर्ति एस. आर. दास, न्यायमूर्ति बोस ने एक असहमतिपूर्ण निर्णय दिया और एस. आर. दास, जे. ने एक कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में भी एक विपरीत राय व्यक्त की थी।

एक और निर्णय में। 15 यही सवाल बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम में भी उठा। बिहार राज्य, 1955 (2) एस. सी. आर. 603, जो तब आया जब एस. आर. दास, जे. [2019] 15 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुख्य न्यायाधीश के रूप में टिंग। एस. आर. दास, जे. जिन्होंने इस पर मजबूत विचार रखे

लेकिन, मामले को सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के समक्ष रखा गया था,न्यायमूर्ति बोस और न्यायमूर्ति भगवती, जिन्होंने दोनों ने भाग लिया था

पहले का निर्णय। न्यायमूर्ति भगवती, जिन्होंने इसका हिस्सा बनाया था

यूनाइटेड मोटर्स मामले (उपरोक्त) में अवमानना, न्यायाधीश शास्त्री के दृष्टिकोण से सहमत होकर, अपने पूर्व दृष्टिकोण को उलट दिया था, जिसमें उन्होंने अपने कारण बताए थे।

उन्होंने कहा कि पहले का निर्णय गलत था। निम्नलिखित हैं -

एम. सी. सीतलवाड़ द्वारा "मेरा जीवन, कानून और अन्य चीजें" के अंशः

" एस. आर. दास के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों में से एक बंगाल प्रतिरक्षा मामला था। उस मामले का एक दिलचस्प इतिहास था। संविधान का अनुच्छेद 286 (जैसा कि तब था) एक राज्य विधानमंडल को निर्यात के दौरान अंतर-राज्य बिक्री और बिक्री के लेनदेन पर बिक्री कर लगाने से प्रतिबंधित करता है। हालाँकि, लेख को खुशी से नहीं लिखा गया था। 1953 में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश शास्त्री ने की थी, जिसमें न्यायमूर्ति भगवती मुख्य न्यायाधीश थे।

सदस्य ने अभिनिर्धारित किया कि कोई राज्य उस राज्य में उपभोग के लिए वितरित वस्तुओं पर बिक्री कर लगा सकता है, भले ही बिक्री एक अंतर-राज्यीय बिक्री हो। यह निर्णय व्यक्त प्रावधान के विपरीत था

संविधान में कहा गया है कि अकेले संसद अंतर-राज्यीय बिक्री के दौरान बिक्री पर कर लगाने को अधिकृत कर सकती है और यह अनुच्छेद 286 (1) (ए) के स्पष्टीकरण पर आधारित था, जो लागू नहीं था। न्यायमूर्ति बोस ने एक असहमतिपूर्ण निर्णय दिया था, और एस. आर. दास

जैसा कि एक कनिष्ठ न्यायाधीश ने भी दूसरे में एक विपरीत राय व्यक्त की थी

निर्णय लें।

यही सवाल बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम में भी उठा। बिहार राज्य 2 जो तब आया जब एस. आर. दास राज्य के रूप में कार्य कर रहे थे।

मुख्य न्यायाधीश। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी ने बंगाल में औषधीय उत्पादों का निर्माण किया और उन्हें बिहार सहित पूरे भारत में बेचा। बिहार में कंपनी का कोई कार्यालय या एजेंट नहीं था, लेकिन बिहार के बिक्री कर अधिकारियों ने कंपनी को पंजीकृत करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। बिहार में विक्रेता और इस आधार पर बिक्री कर का भुगतान करें कि बिक्री के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में बिहार में उपभोग के लिए बिहार में वितरित माल

बिहार में बिक्री कर के लिए उत्तरदायी थे, भले ही बिक्री बंगाल में हुई थी। बिहार राज्य का दृष्टिकोण इसके अनुरूप था।

यूनाइटेड मोटर्स में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ

बॉम्बे वी। यूनाइटेड मोटर्स (इंडिया) लिमिटेड, (1953) एस. सी. आर. 1069।

1955) 2 एस सी आर 603.

इंदौर विकास

प्राधिकरण v.

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

लेकिन मामले में मजबूत विचार रखने वाले दास ने मामले को दो न्यायाधीशों सहित सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा था।

बोस और न्यायमूर्ति भगवती, जिन्होंने पहले भाग लिया था निर्णय लें।

यह मामला राज्यों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि

संयुक्त राज्य में मुख्य न्यायाधीश शास्त्री द्वारा व्यक्त विचार के तहत मोटर मामला, एक राज्य-वह राज्य जिसमें माल रखा गया था

बिक्री के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उपभोग के लिए वितरित किया जाएगा - ऐसे लेन-देन पर बिक्री कर लगाने का हकदार है, जबकि,

अन्य दृष्टिकोण से, कोई भी राज्य वस्तुओं पर कर लगाने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि बिक्री का लेन-देन अंतर-राज्यीय बिक्री होगी। अकेले केंद्र

अंतर-राज्यीय बिक्री पर बिक्री कर लगाने के लिए कानून बना सकते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ हद तक तनावपूर्ण निर्माण हुआ है।

मुख्य न्यायाधीश शास्त्री द्वारा अनुच्छेद 286 (1) (ए) के स्पष्टीकरण पर

और बहुमत इस विचार के कारण था कि स्रोतों

संविधान के तहत राज्यों का राजस्व जो पहले से ही था

राज्यों को इनकार करके कम नहीं किया जाना चाहिए

ऐसे मामलों में पूरी तरह से बिक्री कर लगाने का अवसर।

सभी राज्यों और उनमें से कई राज्यों को नोटिस जारी किए गए थे

उनके अधिवक्ताओं-जनरल द्वारा हस्तक्षेप किया गया। एन. सी. चटर्जी प्रकट हुए

बंगाल इम्युनिटी कंपनी और लाल नारायणन सिन्हा के लिए,

तब बिहार के सरकारी अधिवक्ता, राज्य की ओर से पेश हुए

बिहार से। मैंने पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से हस्तक्षेप किया।

महाधिवक्ता के रूप में सीकरी ने पूर्वी राज्य का प्रतिनिधित्व किया

पंजाब।

शुरुआत में यह सवाल उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने

अपने पिछले निर्णय को रद्द कर सकता है यदि यह संतुष्ट था कि यह था गलत है। यह पहला अवसर था जब न्यायालय ने

इस महत्वपूर्ण प्रश्न से निपटने के लिए कहा गया।

न्यायालय स्वाभाविक रूप से अन्य में अपनाई जाने वाली प्रथा पर विचार करता है।

अपने पहले के फैसलों का पालन करने के लिए पूरी तरह से बाध्य नहीं था संवैधानिक मामलों में शायद ही कभी वे उनसे भिन्न होते हैं

सरकार और प्रजा दोनों द्वारा कार्रवाई की गई है। द.

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौकों पर

अपने पिछले फैसलों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। इनमें से अधिकांश

उसके बाद से स्थिति बदल गई है; हाउस ऑफ लॉर्ड्स अब निर्णयों से बाध्य नहीं है।

लेकिन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत संघ जैसे संघीय संविधान द्वारा शासित देश में, संविधान में संशोधन करना किसी भी तरह से आसान नहीं है, अगर यह गलत है। इस न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है। संविधान की एक गलत व्याख्या काफी हद तक स्थायी हो सकती है या किसी भी तरह से काफी समय तक अपरिवर्तित रह सकती है।

सार्वजनिक कल्याण के लिए बड़े नुकसान का समय। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में जिन बातों का उल्लेख किया गया है

इसलिए, ऊपर उद्धृत मामले उपयुक्त हैं और यह निर्धारित करने में पूरी ताकत से लागू होते हैं कि क्या इस न्यायालय के पिछले निर्णय की अवहेलना की जानी चाहिए या उसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए, हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें पिछले निर्णय से अलग होने से रोकता है यदि हम इसकी त्रुटि और जनता के सामान्य हितों पर इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में आश्वस्त हैं।

इसके बाद उन्होंने कई परिस्थितियों की ओर इशारा किया, जिसके कारण उन्हें जो सही लगा, उसे ठीक करना आवश्यक हो गया।

पहले के निर्णय के हानिकारक प्रभाव जिन्हें वे गलत मानते थे। उन्होंने अंततः इन शब्दों में शासी सिद्धांत तैयार कियाः

न्यायपालिका की अंतिमता के सिद्धांत का संदर्भ दिया गया है।

निर्णय और यह हम पर दबाव डाला जाता है कि हमें अपने पिछले निर्णय को उलट नहीं देना चाहिए, सिवाय उन मामलों के जहां कानून के किसी भौतिक प्रावधान की अनदेखी की गई हो या जहां निर्णय आगे बढ़ा हो। किसी निरस्त या समाप्त कानून के जारी रहने की गलत धारणा पर और यह कि हमें पिछले निर्णय से केवल इसलिए अलग नहीं होना चाहिए क्योंकि एक विपरीत दृष्टिकोण हमें बेहतर लगता है। हमारे लिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमें इस न्यायालय के पिछले फैसले से हल्के में असहमति नहीं होनी चाहिए। हमारी समीक्षा की शक्ति, जो निस्संदेह मौजूद है, का उपयोग उचित सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल हमारे ध्यान में लाए गए प्रत्येक मामले की आसपास की परिस्थितियों के आलोक में जनता की भलाई के लिए किया जाना चाहिए; लेकिन हम अपनी शक्ति को कठोर रूप से निर्धारित सीमाओं के भीतर सीमित करना सही नहीं मानते हैं, जैसा कि हमारे सामने सुझाव दिया गया है।

इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

हालांकि, तीन न्यायाधीशों वाले अल्पमत ने ऐसा नहीं किया,

इस पद को स्वीकार करें।

गुण-दोष पर, न्यायालय का बहुमत जिसमें चार शामिल हैं

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनुच्छेद 286 के कई भागों के प्रावधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि इसे विभिन्न विषयों से निपटना है और एक भाग को अलग नहीं किया जा सकता है।

प्रक्षेपित या दूसरे में पढ़ा जाता है। निष्कर्ष यह निकला कि खंड (1) (क) के स्पष्टीकरण को अंततः खंड (2) तक या तो एक अपवाद के रूप में या एक परंतुक के रूप में विस्तारित नहीं किया जा सकता था और खंड (2) की सीमा को सीमित करने के रूप में पढ़ा जा सकता था। जब तक संसद अनुच्छेद के खंड (2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं करती है, तब तक कोई भी राज्य अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली बिक्री या खरीद पर कोई कर नहीं लगा सकता है। मुख्य न्यायाधीश शास्त्री का निर्णय इस हद तक कि उसने इसके विपरीत निर्णय लिया

इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता था-सिद्धांत या अधिकार पर आधारित।

असहमत दृष्टिकोण शक्तिशाली राय में व्यक्त किया गया था

तीन असहमत न्यायाधीशों में से प्रत्येक। उन्होंने यह विचार रखा कि अनुच्छेद की योजना यह थी कि यह एकाधिक कराधान से बचने के लिए बिक्री की स्थिति को तय करती है। उस उद्देश्य के लिए, यह विभाजित किया गया बिक्री को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया, "आंतरिक बिक्री" और "बाहरी बिक्री", और यह अधिनियमित किया गया कि कोई राज्य बाहरी बिक्री पर कर नहीं लगा सकता है। जब, उसी संदर्भ में, स्पष्टीकरण ने घोषणा की कि एक बिक्री को माना जाना चाहिए

जिस राज्य में उपभोग के लिए माल की डिलीवरी की जाती है, उसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से ऐसी बिक्री को बाहर निकालना था। अंतर-राज्यीय व्यापार और उन पर अंतर-राज्यीय बिक्री के चरित्र के साथ मुहर लगाएं।

सबसे शक्तिशाली असहमति वह थी जो न्याय द्वारा दी गई थी

अय्यर, जिनका निर्णय विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों में सबसे विस्तृत और सबसे लंबा था। इस मामले में एक उल्लेखनीय निर्णय न्यायमूर्ति भगवती का था, जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश शास्त्री के विचार से सहमत होकर यूनाइटेड मोटर्स मामले में बहुमत का हिस्सा बनाया था। उन्होंने अपने कारणों को विस्तार से बताते हुए कौशल के साथ अपने पूर्व दृष्टिकोण को उलट दिया। उनमें यह कहने का साहस था कि पहले के निर्णय में उनकी राय स्पष्ट रूप से गलत थी और जनहित की मांग है कि ऐसा ही होना चाहिए। उल्टा "।

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. एम/एस में। उजागर प्रिंट्स और ओआरएस। (II) v. भारत संघ और अन्य। (1989) 3 एस. सी. सी. 488, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ का गठन किया गया था जिसमें आर. एस. पाठक, सी. जे., सब्यसाची मुखर्जी, एस. नटराजन, एम. एन. वेंकटचलैया और एस. रंगनाथन, जे. विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में निर्णय की शुद्धता थी। भारत संघ (1985) 3 एस. सी. सी. 314, जिसका निर्णय तीन न्यायाधीशों-एस. मुर्तजा फजल अली, एस. वरदराजन और सब्यसाची मुखर्जी, जे. जे. की एक पीठ द्वारा किया गया था। सब्यसाची मुखर्जी, जे. ने उनकी ओर से फैसला सुनाया और एस. मुर्तजा फजल अली, जे. वरदराजन ने आंशिक रूप से सहमति व्यक्त की। मामला एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में न्यायालय के लिए व्यक्त न्यायमूर्ति सब्यसाची मुखर्जी के दृष्टिकोण की शुद्धता की जांच करने के लिए भेजा गया था। भारत संघ (ऊपर)। सब्यसाची मुखर्जी, जे. द्वारा पिछले निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण अच्छा कानून माना गया था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें कुछ पहलुओं पर एम्पायर इंडस्ट्रीज मामले (उपरोक्त) में लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर इस न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा मैसर्स में संदेह किया गया था। उजागर प्रिंट्स बनाम। भारत संघ (1986) सप. एससीसी 652। तदनुसार, मामला पाँच-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। सब्यसाची मुखर्जी, जे. उस पीठ के सदस्यों में से एक थे जिसने एम्पायर इंडस्ट्रीज मामले (ऊपर) में उनके फैसले की पुष्टि की थी। 17. एक और संविधान पीठ का उदाहरण है जिसमें वाई. वी. चंद्रचूड़, सी. जे., पी. एन. भगवती, एस. मुर्तजा फजल अली, अमरेंद्र नाथ सेन, पी. बालकृष्ण एराडी, जे. जे. शामिल थे। ज्ञान देवी आनंद बनाम के मामले में। जीवन कुमार और अन्य। (1985) 2 एस. सी. सी. 683, जहाँ यह प्रश्न उठा कि क्या वैधानिक किरायेदारी वंशानुगत है। ज्ञान देवी आनंद (ऊपर) में, गणपत लाढ़ा बनाम में निर्णय की शुद्धता। शशीकांत विष्णु शिंदे, (1978) 2 एस. सी. सी. 573 विचार के लिए आए। गणपत लाढ़ा के मामले में निर्णय को खारिज कर दिया गया था, और दामादीलाल बनाम। पराश्रम, (1976) 4 एस. सी. सी. 855 की पुष्टि की गई थी। न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

" 35. हमारी राय में, इस न्यायालय द्वारा गणपति लाढ़ा बनाम में व्यक्त किया गया विचार। शशीकांत विष्णु शिंदे, (1978) 2 एस. सी. सी. 573 और उसमें की गई टिप्पणियाँ जो हमने पहले उद्धृत की हैं, सही कानून निर्धारित नहीं करती हैं। उक्त निर्णय ठीक नहीं है।

अधिनियम की धारा 5 (11) (बी) में दी गई 'किरायेदार' की परिभाषा का अर्थ निकालें और वाणिज्यिक किरायेदारी की समाप्ति के बाद भी, अधिनियम में परिभाषित किरायेदार की स्थिति पर विचार न करें। दमदिलाल बनाम में हमारे निर्णय में। पाराश्रम, (1976) 4 एस. सी. सी. 855, इंदौर विकास

प्राधिकरण v.

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

इस न्यायालय ने एक किरायेदार की स्थिति और कानूनी स्थिति की सही सराहना की है जो संविदात्मक किरायेदारी की समाप्ति के बाद भी कब्जे में बना हुआ है। हमने इस न्यायालय के दृष्टिकोण और उसके समर्थन में कारणों को विस्तार से उद्धृत किया है। व्यक्त विचार

धनपाल चेट्टियार बनाम में इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा।

येसोदाई अम्मल, (1979) 4 एस. सी. सी. 214 और किए गए अवलोकन

जिसमें हमने पहले उद्धृत किया है, निर्णय का समर्थन करें।

दामादीलाल मामले में इस न्यायालय का। ये निर्णय सही तरीके से लिए गए हैं।

कि मकान मालिक द्वारा संविदात्मक किरायेदारी की समाप्ति किरायेदार की स्थिति में परिवर्तन नहीं लाती है जो

किराया अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर किरायेदारी। एक उचित किराया अधिनियमों में किए गए प्रावधानों के आलोक में किरायेदार की परिभाषा की व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि किरायेदार किराएदार परिसर में संपत्ति या ब्याज का आनंद लेना जारी रखता है, इसके बावजूद कि

संविदात्मक किरायेदारी की समाप्ति "।

18. न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने इस विचार से सहमति व्यक्त की और इसे खारिज कर दिया।

गणपत लाढ़ा के मामले में निर्णय (ऊपर)। न्यायमूर्ति भगवती ने इस प्रकार कहाः

" 3. 6 नवंबर, 1960 को अपीलार्थी-मकान मालिक ने एक मुकदमा दायर किया

निष्कासन जो अब हमारे सामने है। 30 अगस्त, 1962 को पहली बार

सुनवाई की तारीख, मुद्दे तैयार किए गए थे। 18 जून, 1963 को निचली अदालत ने निम्नलिखित निष्कर्षों पर मुकदमे का फैसला सुनाया। के लिए नोटिस

किराया देना वैध था और उचित रूप से पूरा किया गया था; किराए का बकाया ठीक से था

अधिनियम की धारा 12 (2) के तहत मांग की गई; मांग के एक महीने के भीतर किरायेदार द्वारा कानून के अनुसार मांग का पालन नहीं किया गया था; मामला धारा 12 (3) (बी) के प्रावधानों द्वारा शासित था न कि धारा 12 (3) (ए) के प्रावधानों द्वारा क्योंकि मानक किराया तय करने के बारे में विवाद अभी भी लंबित था जब

मानक किराए की मांग करने वाला नोटिस दिया गया था; फिर भी,

किरायेदार धारा 12 (3) (बी) के संरक्षण का हकदार नहीं था, क्योंकि उसने उन शर्तों के अनुसार नियमित रूप से किराए का भुगतान नहीं किया था जिनके तहत धारा 12 (3) (बी) का संरक्षण दिया जा सकता था।

उसे। ”

19. इसके अलावा, केशवानंद भारती बनाम के ऐतिहासिक निर्णय में।

केरल की तारीख (1973) 4 एस. सी. सी. 225, पहले का विचार इस टिन सज्जन सिंह बनाम द्वारा रखा गया था। राजस्थान राज्य 1965 ए. आई. आर. एस. सी. 845 15 एस. सी. आर. था।

हालांकि दोनों मामलों में कुछ माननीय न्यायाधीशों ने खारिज कर दिया था

आम है। 20. हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्न में। वी. भारत संघ और अन्य। (1995) 5 एस. सी. सी. 338, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ जिसमें ए. एम. अहमदी, सी. जे., एस. पी. भरुचा और के. एस. परिपूर्णन, जे. जे. शामिल हैं। खंडेलवाल मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम में लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर संदेह किया। भारत संघ (1985) 3 एस. सी. सी. 620 और मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। बड़ी पीठ में एस. पी. भरुचा, बी. एन. शामिल थे।

कृपाल, एस. राजेंद्र बाबू, सैयद मोहम्मद कादरी और एम. बी. शाह, जे. जे.। उन्होंने हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड में रिपोर्ट किए गए संदर्भ का जवाब दिया।

& एन. आर. वी. भारत संघ और अन्य। (1999) 5 एससीसी 15. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एस. पी. भरुचा, जे., जिन्होंने निर्णय की शुद्धता पर संदेह किया था और मामले को संविधान पीठ को भेजा था, ने कुछ आधारों पर पहले के विचार को खारिज कर दिया है।

21. एम/एस में। कपड़ा व्यापारी (पी) लिमिटेड बनाम अतिरिक्त सी. आई. टी., गुजरात

आई, (1979) 3 एस. सी. सी. 538, एक तीन न्यायाधीशों की पीठ जिसमें पी. एन. भगवती, डी. ए. देसाई और ए. डी. कोशल, जे. अंतर-निगमित के सवाल का फैसला किया

लाभांश। इस निर्णय की शुद्धता को वाई. वी. चंद्रचूड़, सी. जे., पी. एन. भगवती की संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए लिया गया था।

अमरेंद्र नाथ सेन, डी. पी. मैडन, एम. पी. ठक्कर, जे. जे. वितरक (बड़ौदा) प्रा. लि. लिमिटेड वी. भारत संघ और अन्य। , (1986) 1 एस. सी. सी. 43, जिसमें मेसर्स में निर्णय। कपड़ा व्यापारी (पी) लिमिटेड बनाम एडल्ट। सीआईटी, गुजरात (ऊपर), को खारिज कर दिया गया था। पी. एन. भगवती, जे. ने संविधान पीठ के लिए फैसला सुनाया। वह मेसर्स में पहले के फैसले के लेखक भी थे। कपड़ा व्यापारी (पी) लिमिटेड बनाम एडल्ट। सी. आई. टी., गुजरात (ऊपर), जिसे खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

" 19. लेकिन, भले ही हमारे विचार में निर्णय मेसर्स में हो। कपड़ा व्यापारी (पी) लिमिटेड बनाम अतिरिक्त सी. आई. टी., गुजरात-I, (1979) 3 एस. सी. सी. 538 गलत है, सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या हमें इसे पलट देना चाहिए।

यह। आम तौर पर हम इस न्यायालय की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को पलटने के लिए अनिच्छुक होंगे, क्योंकि यह आवश्यक है कि न्यायिक निर्णयों में निरंतरता और निरंतरता होनी चाहिए और कानून होना चाहिए। निश्चित
और निश्चित रहें। यह लगभग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कानून का स्थायी रूप से निपटारा किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ जनहित मांग करता है कि पिछले निर्णय की समीक्षा की जाए और उस पर पुनर्विचार किया जाए। टकटकी लगाने के निर्णय के सिद्धांत को न्यायालय को इंदौर विकास प्राधिकरण v को रद्द करने से नहीं रोकना चाहिए।

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

पूर्व निर्णय, यदि यह संतुष्ट है कि ऐसा निर्णय स्पष्ट रूप से गलत है या किसी वैधानिक प्रावधान के अस्तित्व या निरंतरता के संबंध में गलत धारणा पर आगे बढ़ता है या इसके विपरीत है अदालत का एक और फैसला। यह जैक्सन, जे. थे जिन्होंने मैसाचुसेट्स बनाम में अपनी असहमति में कहा था। संयुक्त राज्य 333 यू. एस. 611:

" मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि मुझे आज जानबूझकर गलत क्यों होना चाहिए क्योंकि मैं कल अनजाने में गलत था। " लॉर्ड डेनिंग ने भी ओस्टाइम वी में इसी प्रभाव को देखा था। ऑस्ट्रेलियन म्यूचुअल प्रोविडेंट सोसाइटी (1960) एसी 549: " मिसाल का सिद्धांत आपके प्रभुता को गलत का पालन करने के लिए मजबूर नहीं करता है

जब तक आप चट्टान के किनारे पर नहीं गिर जाते। यहाँ हम पाते हैं कि ऐसे प्रमुख विचार हैं जो हमें क्लॉथ ट्रेडर्स मामले (उपरोक्त) में निर्णय पर पुनर्विचार करने और समीक्षा करने के लिए मजबूर करते हैं। सबसे पहले, कपड़ा व्यापारियों के मामले (उपरोक्त) में निर्णय इस न्यायालय द्वारा 4 मई, 1979 को दिया गया था और उसके तुरंत बाद, कुछ महीनों के भीतर, संसद ने धारा 80-ए. ए.

कपड़ा व्यापारियों के मामले (ऊपर) में धारा 80-एम पर दी गई व्याख्या को ओवरराइड करने की दृष्टि से 1 अप्रैल, 1968 से पूर्वव्यापी प्रभाव। इसलिए क्लॉथ ट्रेडर्स मामले (उपरोक्त) में निर्णय कुछ महीनों से अधिक समय तक नहीं चला और यह नहीं कहा जा सकता कि किसी भी निर्धारिती को उस निर्णय के आधार पर इसके नुकसान के लिए काम करने के लिए गुमराह किया गया था। कपड़ा व्यापारियों के मामले (ऊपर) में निर्णय से पहले धारा 80-एम की उप-धारा (1) की व्याख्या के संबंध में इस न्यायालय का कोई निर्णय नहीं था, और इसलिए इसका कोई आधिकारिक निर्णय नहीं था।

व्याख्या के इस प्रश्न पर न्यायालय, जिस पर एक निर्धारिती अपनी राजकोषीय व्यवस्था करने के लिए भरोसा करने का दावा कर सकता है। कपड़ा व्यापारियों में निर्णय से पहले किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा दी गई धारा 80-एम की उप-धारा (1) की व्याख्या के संबंध में एकमात्र निर्णय मामला (ऊपर), अतिरिक्त मामले में गुजरात उच्च न्यायालय का था। सी. आई. टी वी.

कपड़ा व्यापारी प्रा. लिमिटेड (1974) 97 आई. टी. आर. 140 (गुजरात) और उस निर्णय ने ठीक वही दृष्टिकोण अपनाया जिसे हम स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं।

वर्तमान मामला। इसलिए यह देखना मुश्किल है कि कोई भी निर्धारिती वैध रूप से कैसे शिकायत कर सकता है कि अगर कपड़ा व्यापारियों के मामले में निर्णय लिया गया तो उसे कोई कठिनाई या असुविधा होगी।

हमारे द्वारा तोड़ दिया गया। यदि अतिरिक्त मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद। सी. आई. टी वी. कपड़ा व्यापारी प्रा. लिमिटेड निर्धारिती आगे बढ़ा इस धारणा पर, जो अब गलत पाई गई, कि गुजरात [2019] 15 एस. सी. आर.

राजस्व और इस न्यायालय का एक अलग दृष्टिकोण रखने का कोई निर्णय नहीं था, कोई भी विवेकपूर्ण निर्धारिती इसके लिए आगे नहीं बढ़ सकता था। इस आधार पर वित्तीय व्यवस्था कि गुजरात का निर्णय

उच्च न्यायालय गलत था। इसके अलावा, हम पाते हैं, उन कारणों के लिए जिन पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, कि कपड़ा व्यापारियों के मामले में निर्णय स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि यह ध्यान में रखने में विफल रहा है

बहुत महत्वपूर्ण कारक, अर्थात्, धारा 80-एम की उप-धारा (1) के तहत की जाने वाली कटौती सकल कुल से नहीं है।

आय लेकिन "लाभांश के रूप में ऐसी आय" से। एक अन्य परिस्थिति भी है जो हमारे लिए कपड़े के व्यापारियों के मामले में निर्णय पर पुनर्विचार और समीक्षा करना आवश्यक बनाती है, और वह है कैम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी मामले (1978) में निर्णय। 2 एससीसी 644। क्लॉथ ट्रेडर्स मामले में निर्णय कैम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी मामले के साथ असंगत है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यदि एक सही है, तो दूसरा तार्किक रूप से गलत होना चाहिए और इसके विपरीत। इसलिए इन दोनों निर्णयों के बीच संघर्ष को हल करना और कानून में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है और इसके लिए कपड़ा व्यापारियों में निर्णय की शुद्धता की जांच की आवश्यकता है।

मामला। यही कारण है कि हमने कपड़ा व्यापारियों के मामले में निर्णय पर पुनर्विचार और समीक्षा की है, और इस तरह के पुनर्विचार और समीक्षा पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निर्णय में

कपड़ा व्यापारियों का मामला गलत है और इसे पलट दिया जाना चाहिए।

इस न्यायालय ने कहा है कि कानून का स्थायी रूप से निपटारा किया जाना चाहिए

पर्यावरण पर विचार किया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यह अदालत की सुसंगत प्रथा है कि जिन न्यायाधीशों ने पहले निर्णय दिया था, उन्होंने बड़ी पीठ का अनुमान लगाया है या उनका हिस्सा रहे हैं।22. पेटलैड तुर्की रेड डाई वर्क्स कं. लिमिटेड बनाम कर आयुक्त, बॉम्बे उत्तर, अहमदाबाद (1963) सप. 1 एस. सी. आर. 871 केशव मिल्स कं. लिमिटेड बनाम में विचार के लिए है।

इंदौर विकास आयुक्त

प्राधिकरण v.

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

टैक्स, बॉम्बे नॉर्थ, अहमदाबाद (1965) 2 एससीआर 908। केशव मिल्स कं. एम. हिदायतुल्ला, जे. में सात न्यायाधीशों की पीठ दोनों मामलों में पीठ का हिस्सा थी। ई अन्य उदाहरण हैं जो अभ्यास के न्यायालय का संकेत देते हुए उद्धृत किए गए हैं।

23. श्री मोहन परासरन विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि न्यायालय का सिद्धांत न्यायालय का कानून है और बाध्यकारी है और इसके विपरीत नियमों के अभाव में इसका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने जमाल उद्दीन अहमद बनाम के निर्णय का उल्लेख किया। अबू सालेह नजमुद्दीन, (2003)

सी257, जो इस प्रकार थाः

" 18. उपर्युक्त प्रावधान की उप-धारा (1) में चुनाव आयोग को चुनाव याचिका प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। उप-धारा (2) में निर्वाचन याचिका आयोग के सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को देने का प्रावधान है जो

चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त या यहाँ तक कि द्वारा भेजा जा रहा है

पंजीकृत पद और आयोग के सचिव या नियुक्त अधिकारी को दिया जाता है ताकि चुनाव आयुक्त को प्रस्तुत किया गया हो। जबकि "उच्च न्यायालय" ने

उप-धारा (1) में निर्वाचन आयोग के स्थान पर प्रतिस्थापित,

पूर्ववर्ती धारा 81 की उप-धारा (2) को संबंधित प्रावधान को फिर से लागू किए बिना हटा दिया गया है। कारण स्पष्ट से अधिक है। संसद जानती थी कि जहां तक चुनाव आयोग का संबंध है, केवल चुनाव आयोग पर ही भरोसा करना आवश्यक माना जाता था।

आयोग के सचिव या ऐसा अन्य अधिकारी जो हो सकता है

निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त

चुनाव आयोग को प्रस्तुत चुनाव याचिका प्राप्त करने की जिम्मेदारी। जहाँ तक उच्च न्यायालय का संबंध है, इस तरह के प्रावधान को अधिनियम में अधिनियमित करने की आवश्यकता नहीं थी। अधिकारिता चुनाव न्यायाधिकरण के स्थान पर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। उच्च न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय है जो पहले से मौजूद था। यह अभिलेख न्यायालय है और पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता है। उच्च न्यायालय एक पूर्व-विद्यमान न्यायिक न्यायालय है।

संस्थान में पहले से ही नियम, निर्देश और प्रथाएं मौजूद थीं।

और इसे प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के ग्रहण को प्रचलित और नियंत्रित करता है; यही बात चुनाव याचिकाओं पर भी लागू होगी। कर्सस क्यूरी

इस लेक्स क्यूरी-न्यायालय का अभ्यास [2019] 15 एस. सी. आर. का कानून है।

अदालत। प्रत्येक न्यायालय अपने स्वयं के अभिलेखों का संरक्षक होता है और

अपने स्वयं के अभ्यास का स्वामी; और जहाँ एक अभ्यास मौजूद है, वह है

अत्यधिक तात्कालिकता और आवश्यकता के मामलों को छोड़कर, सुविधाजनक इसका पालन करें, क्योंकि यह अभ्यास है, भले ही कोई कारण न हो

इसके लिए सौंपा जाना चाहिए; कानून में एक अपरिवर्तनीय अभ्यास के लिए आम तौर पर खड़ा है उन सिद्धांतों पर जो न्याय और सुविधा में स्थापित हैं। (देखें।

ब्रूम के कानूनी अधिकतम, 10 वीं संस्करण। , पी। 82.) के अभाव में भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नियमों में अध्याय VIII-ए होगा

उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश में कुछ भी गलत नहीं था

अपने किसी भी अधिकारी को चुनाव याचिका प्राप्त करने के लिए अधिकृत करना

न्यायालय ने अपने नियमों में अध्याय VIII-A को शामिल करना उचित समझा। अधिनियम के अध्याय 2 में किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए।

(जोर दिया गया)

24. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मोहन परासरन ने भी भरोसा जताया है

जॉन पैट्रिक में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

केवाई वी. संयुक्त राज्य अमेरिका, 510 यू. एस. 540 (1994), जहां "न्यायेतर स्रोत" सिद्धांत पर आधारित साल का सवाल सामने आया

उपहास। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया किः

" [5] [6] [7] मुकदमे की अध्यक्षता करने वाला न्यायाधीश, पूरा होने पर कर सकता है

साक्ष्य का, प्रतिवादी के प्रति अत्यधिक खराब व्यवहार किया जाए, जिसे पूरी तरह से निंदनीय व्यक्ति दिखाया गया है।

उनका ज्ञान और इससे उत्पन्न राय उचित थी और आवश्यक रूप से कार्यवाही के दौरान अर्जित किया जाता है, और हैं

वास्तव में कभी-कभी (बेंच ट्रायल के रूप में) पूरा करने के लिए आवश्यक

न्यायाधीश का कार्य। जैसा कि न्यायाधीश जेरोम फ्रैंक ने स्पष्ट रूप से कहाः " निष्पक्षता

मूर्खता नहीं है। उदासीनता का मतलब बच्चे जैसा नहीं है। निर्दोषता। यदि न्यायाधीश ने अभिनेताओं के निर्णय नहीं बनाए

वे अदालत के नाटक जिन्हें परीक्षण कहा जाता था, वे कभी प्रस्तुत नहीं कर सकते थे

निर्णय "। जे. पी. लिनाहन, इंक., 138 एफ. 2 डी 650,654 (सीए 2)

1943) . इसके अलावा "पूर्वाग्रह" के रूप में अपमानजनक लक्षण वर्णन के अधीन नहीं है

या "पूर्वाग्रह" न्यायाधीशों द्वारा धारण की गई राय है जिसके परिणामस्वरूप वे पिछली कार्यवाहियों में सीखा। इसे लंबे समय से सामान्य माना जाता रहा है।

और एक न्यायाधीश के लिए उसी मामले में उसकी रिमांड पर बैठना उचित है, और एक ही प्रतिवादी को शामिल करते हुए लगातार मुकदमों में बैठने के लिए।

इंदौर विकास

प्राधिकरण v.

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

[8] [9] यह सिद्धांत रूप में गलत है, हालांकि यह बहुत दूर नहीं हो सकता है

एक व्यावहारिक मामले के रूप में चिह्नित करें, जैसा कि कई राय है, कि "गैर-न्यायिक स्रोत" अयोग्य पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह स्थापित करने का एकमात्र आधार है। यह एकमात्र सामान्य आधार है, लेकिन अनन्य नहीं है, क्योंकि यह एकमात्र कारण नहीं है कि एक प्रवृत्ति गलत या अनुचित हो सकती है। एक अनुकूल या प्रतिकूल प्रवृत्ति को "पूर्वाग्रह" या "पूर्वाग्रह" के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है क्योंकि, भले ही यह प्रस्तुत किए गए तथ्यों या परीक्षण में होने वाली घटनाओं से उत्पन्न होता है, यह इतना चरम है कि निष्पक्ष निर्णय देने में स्पष्ट अक्षमता प्रदर्शित करना। (यह बताता है कि कुछ अदालतों ने "गैर-न्यायिक स्रोत" सिद्धांत के लिए "व्यापक पूर्वाग्रह" अपवाद कहा है। देखें, उदाहरण के लिए, डेविस बनाम। बोर्ड ऑफ स्कूल कॉमर्स ऑफ मोबाइल काउंटी, 517 एफ. 2 डी 1044,1051 (सीए 5 1975), प्रमाण पत्र। इनकार किया, 425 यू. एस. 944,96 एस. सी. टी. 1685, 48 L.Ed.2d 188 (1976)।

[13] [14] इन सभी कारणों से, हम सोचते हैं कि "न्यायेतर स्रोत" सिद्धांत, जैसा कि हमने इसका वर्णन किया है, धारा 455 (ए) पर लागू होता है। के रूप में

हमने इसका वर्णन किया है, हालाँकि, इस सिद्धांत में बहुत अधिक सिद्धांत नहीं है। यह तथ्य कि एक न्यायाधीश द्वारा रखी गई राय न्यायिक कार्यवाही के बाहर के स्रोत से प्राप्त होती है, "पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह" से अलग होने के लिए एक आवश्यक शर्त नहीं है, क्योंकि मुकदमे के दौरान विकसित प्रवृत्ति कभी-कभी (हालांकि शायद ही कभी) पर्याप्त होगी। न ही यह "पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह" से अलग होने के लिए पर्याप्त शर्त है, क्योंकि न्यायिक कार्यवाही के संदर्भ से बाहर प्राप्त कुछ राय (उदाहरण के लिए, विद्वानों के अध्ययन में प्राप्त कानून के बारे में न्यायाधीश का दृष्टिकोण) पर्याप्त नहीं होगी। चूँकि न तो एक अतिरिक्त न्यायिक की उपस्थिति

स्रोत अनिवार्य रूप से पूर्वाग्रह स्थापित करता है, और न ही एक अतिरिक्त न्यायिक स्रोत की अनुपस्थिति आवश्यक रूप से पूर्वाग्रह को रोकती है, न्यायशास्त्र से अलग होने में एक "अतिरिक्त न्यायिक स्रोत" सिद्धांत की तुलना में एक महत्वपूर्ण (और अक्सर निर्धारक) "अतिरिक्त न्यायिक स्रोत" कारक के अस्तित्व की बात करना बेहतर होगा। [15] [16] [17] [18] वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए हमें उस कारक के परिणामों का पूरी तरह से विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित कहना पर्याप्त हैः पहला, न्यायिक निर्णय लगभग कभी भी पक्षपात या पक्षपात के लिए एक वैध आधार नहीं बनते हैं।

पक्षपातपूर्ण गति। संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम देखें। ग्रिनेल कार्पोरेशन। , 384 यू. एस., 583,86 एस. सी. टी., 1710 में। इन एंड ऑफ सेल्फ (यानी, [2019] 15 एस. सी. आर. के अलावा।

आसपास की टिप्पणियाँ या साथ में दी गई राय), वे संभवतः एक गैर-न्यायिक स्रोत पर निर्भरता नहीं दिखा सकते हैं; और केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही पक्षपात या विरोध की डिग्री का प्रमाण दे सकते हैं (जैसा कि नीचे चर्चा की गई है) जब कोई गैर-न्यायिक स्रोत शामिल नहीं है। लगभग हमेशा, वे अपील के लिए उचित आधार हैं, न कि अलग होने के लिए। दूसरा, प्रस्तुत किए गए तथ्यों या वर्तमान कार्यवाही या पूर्व कार्यवाही के दौरान होने वाली घटनाओं के आधार पर न्यायाधीश द्वारा बनाई गई राय, पक्षपात या पक्षपात प्रस्ताव के लिए एक आधार नहीं है, जब तक कि एक गहरी पक्षपात या विरोध का प्रदर्शन नहीं होता है जो निष्पक्ष निर्णय को असंभव बना देगा। इस प्रकार, एक मुकदमे के दौरान न्यायिक टिप्पणी है कि

पक्षकारों या उनके मामलों की आलोचना करते हैं या अस्वीकार करते हैं, या उनके प्रति शत्रुतापूर्ण भी होते हैं, वे आमतौर पर पक्षपात या पक्षपात की चुनौती का समर्थन नहीं करते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं यदि वे एक राय प्रकट करते हैं जो एक से उत्पन्न होती है

न्यायेतर स्रोत; और वे ऐसा करेंगे यदि वे इतने उच्च स्तर के पक्षपात या विरोध को प्रकट करते हैं कि निष्पक्ष निर्णय को असंभव बना देते हैं। उत्तरार्द्ध (और शायद पूर्व का भी) का एक उदाहरण वह बयान है जो कथित तौर पर जिला न्यायाधीश द्वारा बर्जर बनाम में दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, 255 यू. एस. 22,41 S.Ct.230,65 L.Ed.481 (1921), जर्मन-अमेरिकी प्रतिवादियों के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध का जासूसी मामला; "किसी के पास बहुत ही न्यायिक दिमाग होना चाहिए, वास्तव में, जर्मन अमेरिकियों के खिलाफ पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए" क्योंकि उनका "दिल बेवफाई से भर रहा है"।

आईडी. , 28 पर (आंतरिक उद्धरण चिह्न हटा दिए गए)। हालाँकि, पूर्वाग्रह या पक्षपात स्थापित न करना अधीरता, असंतोष, झुंझलाहट और यहाँ तक कि क्रोध की अभिव्यक्तियाँ हैं, जो संघीय न्यायाधीशों के रूप में पुष्टि होने के बाद भी कभी-कभी अपूर्ण पुरुषों और महिलाओं की सीमा के भीतर होती हैं। अदालत कक्ष प्रशासन में एक न्यायाधीश के सामान्य प्रयास-यहां तक कि अदालत कक्ष में एक कठोर और अल्प-स्वभाव वाले न्यायाधीश के सामान्य प्रयास।

प्रशासन-प्रतिरक्षित रहें।

"न्यायेतर स्रोत" शब्द, हालांकि इसके नाम वाला व्याख्यात्मक सिद्धांत नहीं है, हमारे पिछले मामलों में से केवल एक में दिखाई दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। ग्रिनेल कार्पोरेशन। , 384 यू. एस. 563,86 S.Ct.1698,16 L.Ed.2d 778 (1966)। ग्रिनेल में उत्तरदाताओं ने आरोप लगाया कि परीक्षण न्यायाधीश का उनके खिलाफ व्यक्तिगत पूर्वाग्रह था, और उनकी अयोग्यता और 28 यू. एस. सी. के तहत एक नए मुकदमे की मांग की। 144. कि

कानून, धारा 455 (बी) (1) की तरह, "पक्षपात या इंदौर विकास" के लिए अयोग्यता की आवश्यकता है।

प्राधिकरण v.

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

पूर्वाग्रह "। प्रतिवादियों के दावे को अस्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा कि "[टी] उन्होंने आरोप लगाया कि पक्षपात और पूर्वाग्रह को अयोग्य ठहराने के लिए एक गैर-न्यायिक स्रोत से उत्पन्न होना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप गुण-दोष पर एक राय होनी चाहिए।

न्यायाधीश ने उससे जो सीखा, उसके अलावा किसी अन्य आधार पर

मामले में भागीदारी "। 384 अमेरिका, 583,86 एस. सी. टी., 1710 में।

LITEKY (ऊपर) में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायाधीश का क्रमिक कारणों में होना वांछनीय है। उन्हें शपथ के प्रति वफादार रहना होगा। पंखों का अवलोकन किया गया हैः

" एक सामान्य उदाहरण लेने के लिए, वादी (यहां याचिकाकर्ताओं की तरह) अक्सर कुछ संबंधित मुकदमों में न्यायिक क्षमता में न्यायाधीश की पूर्व भागीदारी के आधार पर अयोग्यता की मांग करते हैं। वे आरोप ज्यादातर मामलों में निरर्थक हैं और उनकी शीघ्र अस्वीकृति महत्वपूर्ण है।

कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि एक न्यायाधीश को "न्याय साबित करने की प्रेरणा" महसूस होगी। एक पूर्व निष्कर्ष "जब दूसरी या तीसरी बार किसी प्रश्न का सामना किया जाता है, उदाहरण के लिए, रिमांड के बाद मुकदमे पर। रैटनर, पूर्व न्यायिक कार्रवाई के लिए न्यायाधीशों की अयोग्यता, 3 How.L.J।

228 , 229-230 (1957) . फिर भी, हम इस धारणा को स्वीकार करते हैं कि "जहां तक संभव हो, कर्तव्यनिष्ठ न्यायाधीश इस चरित्र के बारे में अपने पूर्वाग्रहों से खुद को अवगत कराएगा, और उसी आत्म-ज्ञान से, उनके प्रभाव को समाप्त कर दें। जे. पी. लिनाहन, इंक., 138 एफ. 2 डी 650,652

(सी. ए. 2 1943)। अर्जित कौशल और उपेक्षा करने की क्षमता

बाहरी मामले न्यायिक कार्यालय की आवश्यकताओं में से एक हैं। ठोस प्रशासन के मामले में, इसके अलावा, यह आवश्यक हो सकता है

और न्यायाधीशों को समान पक्षों या मुद्दों से जुड़े क्रमिक कारणों की अध्यक्षता करने की अनुमति देना विवेकपूर्ण है। संयुक्त राज्य जिला न्यायालयों के लिए धारा 2255 कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले नियम, नियम 4 (ए) देखें ("मूल प्रस्ताव तुरंत जिला अदालत के न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिन्होंने चल रहे व्यक्ति के मुकदमे की अध्यक्षता की और उसे सजा सुनाई, या, यदि सजा देने वाला न्यायाधीश परीक्षण न्यायाधीश नहीं था, तो यह उस न्यायाधीश के पास जाएगा जो चल रहे व्यक्ति द्वारा हमला की जा रही कार्यवाही के उस हिस्से का प्रभारी था")। पूर्व और वर्तमान कार्यवाहियों का सार्वजनिक चरित्र न्यायाधीश के अपने निर्णय के औचित्य को सावधानी से तौलने के संकल्प को मजबूत करता है। मामले की सुनवाई के लिए।

यह मान्यता कि एक न्यायाधीश का पूर्व न्यायिक अनुभव और संपर्क आवश्यक नहीं है, और अक्सर नहीं, उचित प्रश्नों को जन्म देते हैं

निष्पक्षता के बारे में "।

(जोर दिया गया)

25. राज्य में डब्ल्यू. बी. वी. शिवानंद पाठक, (1998) 5 एस. सी. सी. 513,

न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि कानून, नीति या

लेकिन न्यायाधीश को किसी मामले की सुनवाई के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाता है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 25. पक्षपात को एक पूर्वकल्पित राय या एक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है

किसी मामले या मुद्दे पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति या पूर्वनिर्धारण

एक विशेष तरीके से, इतना कि इस तरह की प्रवृत्ति नहीं है

मन को दृढ़ विश्वास के लिए खुला छोड़ दें। वास्तव में यह एक शर्त है कि दिमाग, जो निर्णयों को भटकाता है और न्यायाधीश को असमर्थ बनाता है

किसी विशेष मामले में निष्पक्षता का प्रयोग करें।

26. पक्षपात के कई रूप हैं। यह आर्थिक पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत हो सकता है।

पक्षपात, विषय के रूप में पूर्वाग्रह-विवाद में मामला, या नीतिगत पूर्वाग्रह आदि। में

तत्काल मामले में, हम इनमें से किसी भी रूप से चिंतित नहीं हैं

पक्षपात, अर्थात्, न्यायिक जिद्दीपन के कारण पूर्वाग्रह। 27. दुर्भाग्य से, न्यायाधीश अचूक नहीं होते हैं। मनुष्य होने के नाते, वे

अपने सर्वोत्तम निर्णयों में भी गलतियाँ कर सकते हैं जो प्रतिबिंबित करते हैं

उनकी कड़ी मेहनत, निष्पक्ष चीजों और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन

समस्या उनके सामने रखी गई। व्याख्या के मामले में

वैधानिक प्रावधान या किसी विशेष मामले में साक्ष्य का आकलन करते समय मामला या कानून या तथ्यों के प्रश्नों का निर्णय, गलतियाँ हो सकती हैं

ईमानदारी से प्रतिबद्ध जिन्हें अपीलीय चरण में ठीक किया जाता है।

यह न्यायालयों के पदानुक्रम के पीछे के दर्शन की व्याख्या करता है। इस तरह

28. यदि किसी निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो न्यायिक अनुशासन के लिए आवश्यक है कि जिस न्यायाधीश के फैसले को खारिज कर दिया गया है, उसे ऐसा करना चाहिए

उस निर्णय को स्वीकार करें। वह उसी कार्यवाही में या में नहीं कर सकता है।

समान पक्षों के बीच संपार्श्विक कार्यवाही, फिर से लिखें

फैसले को खारिज कर दिया। भले ही यह एक शुद्ध प्रश्न पर निर्णय था

जिस कानून को निरस्त कर दिया गया था, उसे इसमें दोहराया नहीं जा सकता है

तथ्य के कारण बाद के चरण में एक ही कार्यवाही कि उच्च न्यायालय का निर्णय जिसने उस इंदौर विकास को खारिज कर दिया है

प्राधिकरण v.

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

निर्णय, न केवल पक्षों को कार्यवाही के लिए बाध्य करता है, बल्कि

किसी विशेष विषय पर अपने हठधर्मी विचारों को दोहराने का अवसर प्राप्त करें। किसी अन्य मामले में सामान्य कानून या संवैधानिक कानून का प्रश्न

29. जैसा कि पहले बताया गया है, न्यायिक व्यवस्था की एक अनिवार्य आवश्यकता निर्णय यह है कि न्यायाधीश निष्पक्ष और तटस्थ है और एक मामले में है

मामले के तथ्यों पर अपने दिमाग को निष्पक्ष रूप से लागू करने की स्थिति

उसके सामने। यदि वह पूर्वनिर्धारित है या पूर्वाग्रहों से पीड़ित है या

एक पक्षपाती दिमाग है, वह एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने से खुद को अयोग्य घोषित कर देता है।

कहते हैंः " यदि, तथापि, 'पक्षपात' और 'पक्षपात' को कुल के अर्थ में परिभाषित किया जाए

न्यायाधीश के दिमाग में पूर्वधारणाओं की अनुपस्थिति, फिर कोई नहीं

कभी निष्पक्ष सुनवाई हुई है और कोई नहीं करेगा। मानव मन, यहाँ तक कि

शैशवावस्था, कागज का कोई खाली टुकड़ा नहीं है। हम पैदा हुए हैं

सोचने की मशीन "। [ग्रिफ़िथ एंड स्ट्रीट, प्रिंसिपल्स ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी देखें।

(1973 एडन.), पी. 155 ; प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा

डी स्मिथ द्वारा (1980 एडन.), पी। 272 ; II प्रशासनिक विधि ग्रंथ

डेविस द्वारा (1958 एडन.), पी। 130.]

30. ये टिप्पणियां तथ्यों के पूर्वग्रह के बीच अंतर का संकेत देती हैं।

विशेष रूप से एक पार्टी से संबंधित, जैसा कि पूर्वधारणाओं के खिलाफ या

कानून, नीति या विवेक के सामान्य प्रश्नों के बारे में पूर्वधारणाएँ।

स्वयं को अयोग्य ठहराएँ, बाद के मामले में, वह नहीं कर सकता है। लेकिन यह सवाल यह यहाँ उत्पन्न नहीं होता है और जैसा है वैसा ही रह जाता है।

(जोर दिया गया)

26. अशोक पांडे बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय (2018) 5 एस. सी. सी.

कार्य के आवंटन और पीठों की सूची का सवाल उपहास के लिए सामने आया। न्यायालय ने निर्धारित किया है कि मुख्य न्यायाधीश को प्रत्येक न्यायाधीश और अन्य कारकों पर विचार करना होगा। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 10. हाल ही में, न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ v. भारत संघ, (2018) 1 एस. सी. सी. 196 ने अभिनिर्धारित किया कि वह सिद्धांत जिसे राजस्थान राज्य बनाम राजस्थान में इस न्यायालय के निर्णय में देखा और मान्यता दी गई थी। प्रकाश चंद, (1998) 1 एस. सी. सी. 1, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकारिता और अधिकार के संबंध में "भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्ति के संबंध में स्वयं को सक्रिय रूप से लागू करना चाहिए"। मुख्य न्यायाधीश की स्थिति को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ दोहराया गयाः (एससीसी पीपी। 199-200 , पैरा 7 और 8)

" 7. यद्यपि उपरोक्त स्थिति उच्च न्यायालय के संबंध में बताई गई है, हम पूरी तरह से निश्चित हैं कि उक्त सिद्धांत है - सर्वोच्च न्यायालय में लागू। हम ऐसा सोचने के लिए तैयार हैं। जब तक ऐसी स्थिति स्पष्ट रूप से नहीं बताई जाती, तब तक पूरी तरह से भ्रम होगा। यह ध्यान दिया जाए कि यह इस न्यायालय की परंपरा भी रही है, और यह परंपरा कानून के कारण रही है। हमें बिना किसी हिचकिचाहट के यह स्पष्ट करना होगा कि कानून के सिद्धांतों के कारण परंपरा का पालन किया जाता है और

न्यायिक अनुशासन और शिष्टाचार के कारण। एक बार जब मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा जाता है, तो उसके पास ही पीठों का गठन करने का विशेषाधिकार होता है। कहने की जरूरत नहीं है कि न तो दो-न्यायाधीशों की पीठ और न ही तीन-न्यायाधीशों की पीठ मामले को अपने लिए आवंटित कर सकती है या पीठ के गठन के लिए निर्देश दे सकती है। विस्तार से, भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस बारे में कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है कि पीठ में कौन बैठेगा या कौन इस मामले को उठाएगा क्योंकि यह पीठ की संरचना को छूता है। हम दोहराते हैं कि इस तरह का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। यह.

कानून में मान्य नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है।

8. एक संस्थान को कुछ मापदंडों के भीतर काम करना पड़ता है और यही कारण है कि इसके उदाहरण, नियम और परंपराएं हैं। जहां तक पीठों की संरचना का संबंध है, हम प्रकाश चंद में बताए गए सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, जो उच्च न्यायालय के संदर्भ में बताए गए थे, और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह सर्वोच्च न्यायालय पर पूरी तरह से लागू होगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक विशेष पीठ का गठन करने का निर्देश देने वाला किसी भी प्रकार का आदेश या आदेश नहीं हो सकता है।

12. इस तथ्य के अलावा कि मांगी गई राहत कानूनी और संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत है, इंदौर विकास में एक मौलिक भ्रांति है

प्राधिकरण v.

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

याचिकाकर्ता का दृष्टिकोण, जिसे विराम दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता एक बाध्यकारी नियम की स्थापना की मांग करता है जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में तीन-न्यायाधीशों की पीठ में केवल मुख्य न्यायाधीश और उनके दो वरिष्ठतम सहयोगी होने चाहिए, जबकि संविधान पीठ में पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश (या, जैसा कि उनका सुझाव है, तीन "वरिष्ठतम" और दो "कनिष्ठतम" न्यायाधीश) होने चाहिए। ऐसा कोई संवैधानिक आधार नहीं है जिसके आधार पर इस तरह के सुझाव को स्वीकार किया जा सके। एक बात के लिए, जैसा कि हमने पहले देखा है, यह पीठों का गठन करने और उन्हें मामले आवंटित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के अनन्य कर्तव्य और अधिकार में हस्तक्षेप करेगा। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को यह गलत धारणा प्रतीत होती है कि कुछ श्रेणियों के मामलों या कुछ अदालतों में केवल वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होने चाहिए -

न्याय। नियुक्ति के मामले में वरिष्ठता का इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि न्यायाधीश को किन मामलों की सुनवाई करनी चाहिए। यह एक तय स्थिति है कि एक न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय न्यायालय की ओर से बोलता है (सहमति या असहमति के मामले को छोड़कर)। संविधान एक उच्च न्यायालयों से, बार से और प्रतिष्ठित न्यायविदों के बीच से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 124 (3) में शर्त। उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति

निर्धारित योग्यताओं की पूर्ति पर सशर्त है अनुच्छेद 124 (3) के तहत उस पद के धारण के लिए। एक बार नियुक्त होने के बाद, न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे मामलों की सुनवाई करने का हकदार है और वास्तव में, कर्तव्यबद्ध है जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा सौंपे गए हैं। न्यायाधीश

उच्च न्यायालयों से लिए गए लोगों को लंबे वर्षों की सेवा के बाद इस न्यायालय में नियुक्त किया जाता है। बार के सदस्य जिन्हें इसी तरह इस न्यायालय में पदोन्नत किया गया है, उनके पास बार में अभ्यास के वर्षों के दौरान एकत्र किए गए व्यापक और विविध अनुभव हैं। यह सुझाव देना कि कोई भी न्यायाधीश निर्णय लेने में अधिक सक्षम होगा

विशेष मामले या कि कुछ श्रेणियों के मामले केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को सौंपे जाने चाहिए, इसका सिद्धांत या पूर्ववर्ती आधार नहीं है। अन्यथा पकड़ रखना क्षमता और क्षमता पर एक प्रतिबिंब डालना होगा

मुख्य न्यायाधीश द्वारा सौंपे गए सभी मामलों से निपटने के लिए अन्य न्यायाधीश इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने पद पर नियुक्ति के लिए संविधान द्वारा अनिवार्य योग्यताओं को पूरा किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के चार्टर्ड उच्च न्यायालयों का एक सौ पचास से अधिक वर्षों का लंबा इतिहास रहा है।

उनमें से प्रत्येक ने अपनी डेढ़ सौवीं वर्षगांठ मनाई है। कई उच्च न्यायालय पुराने दौर में बहुत पीछे नहीं हैं। कुछ हाल ही में उत्पन्न हुए हैं। अपने न्यायिक इतिहास के दौरान, उच्च न्यायालयों ने व्यवहार और प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले मामलों में परंपराएं विकसित की हैं। ये सम्मेलन मुख्य न्यायाधीश को कार्य के आवंटन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिसमें पीठों का गठन भी शामिल है। उच्च न्यायालय समय-समय पर मुख्य न्यायाधीश के अधिकार के तहत कार्य सूची प्रकाशित करते हैं। रोस्टर बेंच, डिवीजन और सिंगल के गठन को इंगित करता है। रोस्टर प्रत्येक पीठ को सौंपे गए मामलों के विषय-वस्तु को इंगित करेगा। विभिन्न उच्च न्यायालयों की उस अवधि के संबंध में अपनी परंपराएं हैं जिसके लिए प्रकाशित रोस्टर जारी रहेगा, जब तक कि एक नया रोस्टर अधिसूचित नहीं किया जाता है। विशेषज्ञता के मामले में व्यक्तिगत न्यायाधीशों की अपनी ताकत होती है। मुखिया।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्य के आवंटन पर निर्णय लेते समय प्रत्येक न्यायाधीश की विशेषज्ञता के क्षेत्र को ध्यान में रखना होता है। हालाँकि, विशेषज्ञता उन कई पहलुओं में से एक है जो मुख्य न्यायाधीश के लिए महत्वपूर्ण है। एक नव नियुक्त न्यायाधीश हो सकता है न्यायाधीश को कानून की विभिन्न शाखाओं में विशेषज्ञता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों को बारी-बारी से किया जाता है। विशेषज्ञता की आवश्यकता के साथ-साथ न्यायाधीशों को कानून के विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक समझ होनी चाहिए। यह निर्णय लेते हुए कि

कार्य का आवंटन और पीठों का गठन, मुख्य न्यायाधीशों को उन पीठों की संख्या निर्धारित करनी होती है जिन्हें किसी विशेष विषय को सौंपे जाने की आवश्यकता होती है-प्रवाह को ध्यान में रखते हुए

काम और बकाया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसी दिए गए क्षेत्र में लंबित मामलों, सबसे पुराने मामलों के निपटारे की आवश्यकता, आपराधिक मामलों को प्राथमिकता देना जहां विषय की स्वतंत्रता शामिल है और संख्या के संदर्भ में न्यायालय की समग्र संख्या जैसे कारकों को ध्यान में रखना होगा। विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कुछ श्रेणियों के मामलों को प्राथमिकता दी है जैसे - जिसमें वरिष्ठ नागरिक, जेल में बंद दोषी और महिला वादी शामिल हैं। सूची तैयार करते समय इन प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। आसन्न सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखना होगा क्योंकि

किसी ऐसे न्यायाधीश को दिया गया कार्य, जो सेवामुक्त होने वाला हो, रिक्त होने पर किसी अन्य पीठ को सौंपा जाना चाहिए।

ये कुछ विचार हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाता है।

इंदौर विकास

प्राधिकरण v.

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के सुव्यवस्थित कामकाज और मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने की आवश्यकता से निर्देशित होते हैं। उच्च न्यायालयों की वेबसाइटों पर रोस्टर का प्रकाशन वादियों और वकीलों को वितरण के बारे में नोटिस प्रदान करता है

मुख्य न्यायाधीश के अधिकार के तहत न्यायिक कार्य। इस न्यायालय का गठन 1950 में किया गया था। रोस्टर तैयार करने और न्यायिक कार्य के वितरण में, उच्च न्यायालयों में अपनाए गए कुछ सम्मेलन भी प्रासंगिक हैं, बशर्ते कि:

संस्थागत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन।

15. इस दलील के आधार पर कि पीठों का गठन और मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामलों के आवंटन को एक प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए, यह आशंका है कि ऐसी प्रक्रिया के अभाव में शक्ति का उपयोग मनमाने ढंग से किया जाएगा। एक न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते हैं। बराबर के बीच पहला। अपने अन्य कार्यों के निर्वहन में, भारत के मुख्य न्यायाधीश एक ऐसे पद पर आसीन हैं जो सुई जेनरिस है। अनुच्छेद 124 (1) में कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे। अनुच्छेद 146 संस्थान के प्रमुख के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश की स्थिति की पुष्टि करता है। संस्थागत दृष्टिकोण से मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष पर रखा जाता है। मामलों के आवंटन और पीठों के गठन में मुख्य न्यायाधीश का एक विशेष विशेषाधिकार होता है। ए के रूप में

संवैधानिक न्यास का भंडार, मुख्य न्यायाधीश अपने आप में एक संस्था है। यह याद रखना चाहिए कि जो अधिकार मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है, वह एक उच्च संवैधानिक व्यवस्था में निहित है। कार्यकर्ता। अधिकार मुख्य न्यायाधीश को सौंपा गया है क्योंकि

न्यायालय के प्रशासनिक और न्यायिक कार्य के कुशल लेन-देन के लिए इस तरह के कार्य सौंपना आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश को अधिकार सौंपने के पीछे अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सर्वोच्च न्यायालय उन संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने और उनका निर्वहन करने में सक्षम हो जो इसके अस्तित्व के लिए शासन और तर्क प्रदान करते हैं। संस्थान के प्रमुख के रूप में मुख्य न्यायाधीश को कार्य सौंपना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र सुरक्षा के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति को सुरक्षित करने के उद्देश्य से है। अविश्वास का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। पद की शपथ कुछ भी कम नहीं मांगती है।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, कानून के किसी भी मुद्दे पर निर्णय देने और उसकी सुधारात्मक प्रक्रिया को न्यायाधीश के अलग होने का आधार नहीं कहा जा सकता है।

अन्यथा, कोई भी न्यायाधीश समीक्षा, उपचारात्मक याचिका या बड़ी पीठ को दिए गए संदर्भ की सुनवाई नहीं कर सकता है।

27. इस न्यायालय में एक भी ऐसा न्यायाधीश नहीं हो सकता है जिसने अधिनियम की धारा 24 के संबंध में एक या दूसरे तरीके से विचार नहीं लिया हो।

2013 , या तो इस न्यायालय में या उच्च न्यायालय में। यदि निवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो किसी भी न्यायाधीश के पास न्यायिक पक्ष में ऐसे मामले पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी। हमें हर दिन उन मामलों से निपटना पड़ता है जिनमें उसी से संबंधित समान या कुछ अलग प्रश्न शामिल होते हैं।

प्रावधान। क्योंकि एक बार विचार लेने के बाद, यदि अलग होना है, तो एक न्यायाधीश को कानून के प्रश्न को सुनने और निर्णय लेने के लिए प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। हमें निर्णय को सही करना होगा, कानून को लागू करना होगा, मामले की तथ्य स्थिति के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रावधानों की व्याख्या करनी होगी जो नहीं हो सकता है

पहले के मामले में जर्मन। एक निर्णय एक ठहराव-स्थान नहीं है, यह एक कदम है। यह एक पवित्र पुस्तक की तरह नहीं है जिसे संशोधित या संशोधित नहीं किया जा सकता है।

ठीक किया गया। यह सभी संबंधित लोगों के लाभ के लिए भी काम कर सकता है यदि कोई न्यायाधीश किसी भी तरह से मामले का फैसला करने के बाद बड़ी पीठ का सदस्य भी है। एक न्यायाधीश जिसने एक छोटे संयोजन में कोई निर्णय दिया था, उसे बड़ी पीठ का हिस्सा होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाता है जब एक संदर्भ बड़ी पीठ को दिया जाता है। बल्कि, विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ-साथ इस न्यायालय में एक ही न्यायाधीश/न्यायाधीशों को बड़ी पीठों में शामिल करना एक सुसंगत प्रथा है। श्री मोहन परासरन, विद्वान वरिष्ठ वकील

अध्याय 3 में निहित दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों के नियम 8 का उल्लेख किया गया है; भाग सी जो निम्नानुसार हैः

" 8. न्यायाधीश या न्यायाधीश जो किसी मामले को संदर्भित करते हैं, वे आम तौर पर उस पीठ पर बैठेंगे जो संदर्भ पर विचार करती है न्यायाधीश या पीठ जिसके द्वारा कोई प्रश्न या मामला संदर्भित किया जाता है, वे आम तौर पर खंड पीठ या पूर्ण पीठ के सदस्य होंगे, जैसा कि मामला है।

ऐसे प्रश्न या मामले पर विचार करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

नियम में प्रावधान है कि एक न्यायाधीश जो एक मामले को संदर्भित करता है, उसे संदर्भ पर विचार करने के लिए बड़ी पीठ में बैठना पड़ता है। वर्तमान मामले में भी, मेरे द्वारा संदर्भ दिया गया है और मुझसे अलग होने की मांग की गई है। इस प्रकार, निरंतर अभ्यास के आधार पर, हम पाते हैं कि अलग होने का कोई आधार नहीं है।

28. कानूनी पूर्व के आधार पर अलग होने की प्रार्थना की गई है

स्वभाव। जहां जमीनी स्तर पर अलग होने की मांग की जाती है, वहां विभिन्न प्रश्न इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

विचार के लिए उठें। सबसे पहले, कानूनी पूर्व-स्वभाव व्याख्या की न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम है, और पूरी न्यायिक प्रणाली इसके लिए मौजूद है।

कानूनी पूर्व-स्वभाव, वास्तव में इस अनुरोध को स्वीकार करने के बराबर होगा कि एक विशेष दृष्टिकोण रखने वाले और किसी विशेष वादी के पक्ष में झुकाव रखने वाले न्यायाधीश को पीठ का संचालन करना चाहिए। यह न केवल पीठ की तलाश की अनुमति देगा, बल्कि न्यायिक अनुशासन के खिलाफ भी होगा और आम आदमी के विश्वास को कम करेगा, जिसके लिए न्यायिक प्रणाली जीवित है। 29. दिमाग में जो सवाल आता है वह यह है कि क्या हम में से किसी को न्यायाधीश [2019] 15 एस. सी. आर. को होने वाली शर्मिंदगी को रोकने के लिए अलग होना चाहिए।

बार के एक सदस्य द्वारा, उससे अलग होने की मांग करके। इसे हल करने का सबसे आसान तरीका अस्वीकृत करना होगा। दूसरी ओर, एक बड़ा सवाल पैदा होता है। यदि निर्णय के रूप में कानूनी पूर्व-स्वभाव के आधार पर अलग होने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली की इमारत को नष्ट कर देगा।

30. सम्पूर्ण न्यायिक प्रणाली ठोस संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है। रोस्टर बनाने की शक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रदान की जाती है ताकि वादी उन न्यायाधीशों का चयन करने में सक्षम न हों जिनके सामने उन्हें किसी मामले पर बहस करनी है, और वह एक संवैधानिक पदाधिकारी है जिसे रोस्टर बनाने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उच्चतम स्तर पर इस कार्य के साथ जोड़ा गया है। वह विश्वास का भंडार है। एक बार वह अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह न्यायाधीशों को चुनना नहीं है। अपनी शपथ के अनुसार, उन्हें बिना किसी डर और पक्षपात के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है।

बिना किसी दुर्भावना, वादियों या किसी कारण के प्रति पूर्वाग्रह के निष्पक्ष तरीके से। जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या केवल एक निर्णय देना, जिसकी शुद्धता की जांच की जानी है, एक न्यायाधीश को अयोग्य ठहराएगा।

बड़ी पीठ का हिस्सा होने से। प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए क्योंकि इस न्यायालय की एक सुसंगत प्रथा है जो विकसित हुई है कि जिन न्यायाधीशों ने पहले छोटे संयोजन में निर्णय दिया है, उन्होंने भी बड़ी पीठ का हिस्सा बनाया है, और ऐसे कई अवसर हैं जब न्यायाधीशों ने अपने स्वयं के विचार को खारिज कर दिया है। LITEKY (ऊपर) में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि बल्कि इस मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में उनका होना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि निर्णय पक्षों के विद्वान वकील की दलीलें सुनने के बाद दिए जाते हैं। कानून को और विकसित करने और त्रुटियों को सुधारने की गुंजाइश हमेशा रहती है, और यह पीठ में न्यायाधीशों के होने से बेहतर तरीके से किया जा सकता है, जिन्होंने पहले अपनी बात रखी है।

विषय के संबंध में निर्णय-इस बात से संबंधित कि किस पक्ष के लिए लिया गया दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं है।

31. यदि पूछने के लिए अलग होने के अनुरोधों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो वादी अनैतिक रूप से प्रमुख की रोस्टर बनाने की शक्तियों को अपने हाथ में ले लेंगे।

न्याय और वह न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप के समान होगा,

शक्तिशाली द्वारा कई साधनों का उपयोग करके और चारों ओर सभी कोणों से सभी प्रकार के दबाव डालकर एक विशेष पीठ रखने के लिए। यह हर नुक्कड़ से किए गए इस तरह के हमले का सामना करने की न्यायिक प्रणाली की क्षमता की परीक्षा है। परिस्थितियों में किसी भी तरह से अलग होने से इनकार किया जाता है, इस तरह की प्रार्थना इंदौर विकास प्राधिकरण v के आगे न झुकने के दृढ़ संकल्प को मजबूत करती है।

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

ऐसा कोई दबाव और उस जमीन पर अलग नहीं होना जिस पर अलग होना है

क्योंकि किसी भी कारण से, इस तरह की प्रार्थना की अनुमति है, एक बार भी, यह कायरता के समान होगा और बड़े और शक्तिशाली लोगों को न्यायिक प्रणाली को नष्ट करने के लिए जगह देगा। इसके अलावा, इस तरह के अनुचित में अलग होना

परिस्थितियाँ, नियम बन जाएँगे। 32. उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह जोरदार आग्रह किया कि वे इंदौर विकास प्राधिकरण में कानून के प्रस्ताव पर बहस करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं।

विस्तृत रूप से। हम पाते हैं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक दिन से अधिक समय तक अलग रहने पर बहस को मुखरता से, जुझारू तरीके से और अत्यधिक क्षमता के साथ किया जा सकता है, इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है कि विद्वान वकील गुण-दोष पर कानून के प्रस्ताव पर बहस करने में संकोच महसूस करेगा। हम महसूस करते हैं कि इस न्यायालय में किसी मामले पर सबसे प्रभावी ढंग से बहस करने के लिए प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। वकीलों ने इस न्यायालय को बार-बार अपने विचार बदलने और कानून को परिष्कृत करने के लिए मजबूर किया है। यह न्यायालय किसी विशेष दृष्टिकोण के लिए नहीं बल्कि कानून को परिष्कृत करने के लिए जाना जाता है और यह वकीलों की सहायता, क्षमता और कानूनी सरलता के साथ इस न्यायालय को अपने दृष्टिकोण को सही करने के लिए मनाने के लिए किया गया है। इस तरह से

प्रक्रिया चलती रहती है क्योंकि इस देश के लोगों के लिए पूरी व्यवस्था मौजूद है। उसकी आड़ में, एक समझदार व्यक्ति को न्यायाधिकरण की निष्पक्षता के बारे में थोड़ा भी संदेह नहीं होना चाहिए। यदि अलग किया जाता है, तो यह बेईमान वादी को अपनी पसंद का एक न्यायाधीश रखने के लिए जगह देने के समान होगा जो उनके द्वारा प्रचार किए जाने वाले विचारों को साझा कर सकता है। उपरोक्त भेष में किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता है; किसी भी आशंका का कोई कारण नहीं है। कोई जगह नहीं है उसी तरह मनोरंजन करें। याचिका को पीठ की खोज के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है, अगर यह कहा जाता है कि जब तक और जब तक कोई वादी उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तब तक मामलों पर बहस नहीं की जा सकती है।

33. यह भी समझ में आता है कि क्या संविधान पीठ में,

पाँच न्यायाधीशों से मिलकर, एक ऐसे न्यायाधीश को अलग करने की प्रार्थना, जिसने पहले एक विशेष दृष्टिकोण लिया है, उचित है? पीठ में पाँच न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश का अपना दृष्टिकोण हो सकता है। वे किसी एक न्यायाधीश के विचार के आगे नहीं झुकेंगे। इस मामले में उनका अपना दृष्टिकोण भी हो सकता है। क्या उन्हें भी अयोग्य ठहराया जाना चाहिए? याचिकाकर्ता की प्रार्थना के मामले में

अनुमति दी जानी है, तो वे 5 की पीठ चाहते हैंः 0 उनके पक्ष में या 4 के पक्ष में और 1 के खिलाफ या 3 के पक्ष में और 2 के खिलाफ। इस तरह से व्यवस्था जीवित नहीं रह सकती है। अलग होने की मांग का विचार ही अकल्पनीय और पूरी तरह से अनुचित है, और प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

9] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड ए. एन. आर. में निर्णय। वी. भारत संघ (अलग होने का मामला), (2016) 5 एस. सी. सी. 808, को संदर्भित किया गया है। संविधान पीठ से न्यायमूर्ति खेहर (उस समय उनके प्रभु पद के रूप में) को हटाने की मांग की गई थी। इस न्यायालय द्वारा सिद्धांतों का सारांश दिया गया है। इस न्यायालय ने जिस पहले सिद्धांत पर चर्चा की है, वह है न्यायाधीश की निष्पक्षता। न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने कहा है कि पहला सिद्धांत यह है कि न्यायाधीश को निष्पक्ष होना चाहिए। केवल कानूनी राय रखने का निष्पक्षता से कोई संबंध नहीं है। यह राय की कानूनी शुद्धता के दायरे में हो सकता है। दूसरा परीक्षण लैटिन मैक्सिम नेमो जूडेक्स इन रे सुआ है अर्थात, कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय उसके अपने मामले में नहीं होता है। न्यूजीलैंड के अपील न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश ग्रांट हैमंड ने अपनी पुस्तक 'जुडिशल रिकुसल' में, जिसका उल्लेख किया गया है, कहा है कि अलग होने पर अंग्रेजी सामान्य कानून सरल और सामान्य दोनों था। अत्यधिक विवश; एक न्यायाधीश को केवल प्रत्यक्ष आर्थिक हित या किसी पक्ष के साथ संबंध, मित्रता या शत्रुता के लिए या इसलिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है क्योंकि वह किसी पक्ष का वकील था या रहा था। न्यायालय ने इस मामले पर इस प्रकार चर्चा की हैः

" 12. न्यूजीलैंड के अपील न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश और एक शिक्षाविद, ग्रांट हैमंड ने अपनी पुस्तक 'ज्यूडिशियल रिकुसल' में अलग होने के कानून पर सिद्धांतों का पता लगाया है।

इंग्लैंड में निम्नलिखित शब्दों मेंः

" अलग होने पर प्रारंभिक अंग्रेजी सामान्य कानून की केंद्रीय विशेषता सरल और अत्यधिक बाधित दोनों थीः एक न्यायाधीश को केवल प्रत्यक्ष आर्थिक ब्याज के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। जिसे आज 'पक्षपात' कहा जाएगा, जो आसानी से अयोग्यता के लिए सबसे विवादास्पद आधार है, उसे न्यायाधीशों के अलग होने के आधार के रूप में पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, हालांकि इस संबंध में इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया था।

न्यायाधीशों के लिए।

यह अपेक्षाकृत परिष्कृत कैनन कानून के स्पष्ट रूप से विपरीत था, जिसमें किसी न्यायाधीश पर किसी पक्ष के साथ संबंध, आत्मीयता, मित्रता या शत्रुता के कारण पक्षपात का संदेह था, या किसी पक्ष के प्रति उसकी अधीनस्थ स्थिति के कारण या क्योंकि वह एक पक्ष का अधिवक्ता था या रहा था, तो अलग होने का प्रावधान था। "

उन्होंने यह भी बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके विपरीत,

यह विषय कानून द्वारा कवर किया गया है।

इंदौर विकास

प्राधिकरण v.

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

13. डाइम्स वी। ग्रैंड जंक्शन कैनाल, (1852) 3 एच. एल. सी. 759, सबसे शुरुआती मामलों में से एक है जहां एक व्यक्ति की अयोग्यता का सवाल है।

न्यायाधीश पर विचार किया गया। आधार यह था कि इस मामले में उनकी कुछ आर्थिक रुचि थी। हम मामले के पक्षों के बीच विवाद के विवरण से चिंतित नहीं हैं। लॉर्ड चांसलर कोटनहैम ने वाइस के आदेश के खिलाफ अपील सुनी। कुलाधिपति ने आदेश की पुष्टि की। आदेश प्रतिवादी कंपनी के पक्ष में गया। एक साल बाद, डाइम्स को पता चला कि लॉर्ड चांसलर कोटनहैम के प्रतिवादी कंपनी में शेयर थे। उन्होंने रानी से उनके हस्तक्षेप के लिए याचिका दायर की। मुकदमे का एक लंबा और उतार-चढ़ाव वाला इतिहास था, जिसका विवरण सामग्री के रूप में उपलब्ध नहीं है।

हमें। आखिरकार मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक पहुंच गया। द हाउस

डाइम्स की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि लॉर्ड चांसलर के आदेश को दरकिनार करने से अभी भी कुलपति का आदेश बरकरार रहेगा क्योंकि लॉर्ड चांसलर ने केवल कुलपति के आदेश की पुष्टि की थी। हालांकि, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि न्यायनिर्णायक में लॉर्ड कोटनहैम की भागीदारी

प्रक्रिया उचित नहीं थी। हालांकि लॉर्ड कैम्पबेल ने कहाः (डाइम्स मामला, ई. आर. पी. 315)

कोई भी यह नहीं सोच सकता कि लॉर्ड कोटनहैम, दूरस्थ स्तर पर, इसमें उनकी रुचि से प्रभावित हो सकते हैं। चिंताः लेकिन , मेरे स्वामी, यह अंतिम महत्व का है कि यह उक्ति कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, को पवित्र माना जाना चाहिए। और यह उस उद्देश्य तक सीमित नहीं है जिसमें वह एक पक्ष है, बल्कि उस उद्देश्य पर लागू होता है जिसमें उसकी रुचि है। ..... यह सभी निम्न न्यायाधिकरणों के लिए एक सबक होगा कि वे न केवल इस बात का ध्यान रखें कि उनके आदेशों में वे अपने व्यक्तिगत हित से प्रभावित न हों, बल्कि उनके अधीन श्रम की उपस्थिति से बचें।

ऐसा प्रभाव "।

14. उपर्युक्त मामले द्वारा निर्धारित सिद्धांत का सारांश देते हुए, हैमंड ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन कियाः

" डायम्स में व्यक्त 'ना-आर्थिक हित' सिद्धांत के अनुसार एक न्यायाधीश को स्वचालित रूप से अयोग्य घोषित करने की आवश्यकता होती है जब उस न्यायाधीश की ओर से न तो वास्तविक पूर्वाग्रह होता है और न ही पक्षपात की आशंका होती है। इसलिए डाइम्स का मौलिक दार्शनिक आधार हितों के टकराव पर आधारित है।

दृष्टिकोण।

"[2019] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. "पक्षपात" के सवाल पर अगला ऐतिहासिक मामला आर. वी. है। गफ, 1993 एसी 646। गफ को एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था

लूट की साजिश रची और निचली अदालत ने उसे पंद्रह साल के कारावास की सजा सुनाई। यह जूरी द्वारा एक मुकदमा था। दोषसिद्धि की घोषणा के बाद, निचली अदालत के ध्यान में लाया गया कि जूरी सदस्यों में से एक दोषी का पड़ोसी था। दोषी ने अपील की अदालत में असफल अपील की। जिन आधारों पर दोषसिद्धि को चुनौती दी गई थी, उनमें से एक यह था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जूरी सदस्यों में से एक दोषी का पड़ोसी होने के कारण उसकी ओर से पक्षपात की संभावना प्रस्तुत की गई थी और इसलिए दोषसिद्धि है अस्थिर। अपील न्यायालय ने देखा कि निर्धारण के लिए दो अलग-अलग परीक्षणों का प्रस्ताव करने वाले प्राधिकरण की दो पंक्तियाँ हैं

पक्षपात के आधार पर न्यायाधीश की अयोग्यताः

(1) “ वास्तविक खतरे का परीक्षण; और

(2) " उचित संदेह "परीक्षण।

अपील न्यायालय ने आवेदन करके दोषसिद्धि की पुष्टि की

खतरा "परीक्षण।

16. इस मामले को आगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ले जाया गया। लॉर्ड गॉफ ने देखा कि अधिकारियों की एक श्रृंखला है जो "न केवल बड़ी संख्या में हैं बल्कि उनके प्रभाव में हैरान करने वाले हैं"। डाइम्स में फैसले का विश्लेषण करने के बाद, लॉर्ड गॉफ ने कहाः (गफ केस, ए. सी. पी. 661

एफ-जी)

" इसलिए, ऐसे मामले में न केवल यह अप्रासंगिक है कि वास्तव में न्यायाधिकरण की ओर से कोई पक्षपात नहीं था, बल्कि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से जांच करने का कोई सवाल ही नहीं है कि क्या विशेष मामले के तथ्यों पर पक्षपात की कोई वास्तविक संभावना थी, या पक्षपात का कोई उचित संदेह था। हित की प्रकृति ऐसी है कि न्याय के प्रशासन में जनता के विश्वास की आवश्यकता है कि निर्णय खड़ा नहीं होना चाहिए।

दूसरे शब्दों में, जहां एक न्यायाधीश का आर्थिक हित है, इस बारे में आगे कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या पक्षपात का कोई "वास्तविक खतरा" या "उचित संदेह" था। लेकिन अन्य मामलों में, इस तरह की जांच की आवश्यकता होती है और प्रासंगिक परीक्षण "वास्तविक खतरा" है।

परीक्षणः (गफ केस, एसी पीपी। 661 जी-एच-662 ए-बी)

" ..... लेकिन [अन्य मामलों में], जांच इस सवाल पर निर्देशित की जाती है कि क्या इंदौर विकास पर पक्षपात की इतनी संभावना थी

प्राधिकरण v.

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

न्यायाधिकरण का हिस्सा कि अदालत निर्णय की अनुमति नहीं देगी

खड़े हो जाओ। ऐसा प्रश्न विभिन्न प्रकार से उत्पन्न हो सकता है -

परिस्थितियाँ। इनमें ऐसे मामले शामिल हैं जिनमें सदस्य न्यायाधिकरण की कार्यवाही के परिणाम में रुचि है,

जो प्रत्यक्ष आर्थिक ब्याज से कम है। इस तरह की रुचियाँ अपनी प्रकृति, अपने प्रभाव और अपनी प्रकृति में व्यापक रूप से भिन्न हो सकती हैं। कार्यवाहियों के विषय के लिए प्रासंगिकता; और वहाँ

ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस तरह के ब्याज का अधिकार

न्यायाधिकरण के सदस्य को स्वतः ही बैठने से अयोग्य घोषित कर देता है।

प्रत्येक मामले पर उसके अपने तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए।

7. विद्वान न्यायाधीश ने इस विषय पर विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों की जांच की और अंत में निष्कर्ष निकालाः (गफ केस, ए. सी. पी. 670 ई-जी)

" ..... अंत में, संदेह से बचने के लिए, मैं परीक्षण को वास्तविक संभावना के बजाय वास्तविक खतरे के संदर्भ में बताना पसंद करता हूं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अदालत संभावना के संदर्भ में सोच रही है। पूर्वाग्रह की संभावना। तदनुसार, प्रासंगिक परिस्थितियों का पता लगाने के बाद, अदालत को खुद से पूछना चाहिए कि क्या उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विचाराधीन न्यायाधिकरण के संबंधित सदस्य की ओर से पक्षपात का वास्तविक खतरा था, इस अर्थ में कि वह इस मुद्दे के पक्ष में किसी पक्ष के मामले को अनुचित रूप से मान सकता है (या अनुचित रूप से मान सकता है) या नापसंद कर सकता है।

उस पर विचार करें। "

3. लॉर्ड वूल्फ अपने अलग फैसले में लॉर्ड गॉफ से सहमत थे।

ई आयोजितः (गफ केस, ए. सी. पी. 673 एफ-जी)

..... केवल एक स्थापित विशेष श्रेणी है और वह मौजूद है जहां न्यायाधिकरण का विषय में आर्थिक या स्वामित्व हित है-जैसा कि डाइम्स v में कार्यवाही का मामला है। ग्रैंड जंक्शन कैनाल। अदालतों को कोई अन्य विशेष श्रेणी बनाने से पहले बहुत संकोच करना चाहिए क्योंकि इससे तुरंत अनिश्चितता पैदा होगी कि उस श्रेणी के मापदंड क्या हैं और उस श्रेणी के मामले में क्या परीक्षण लागू किया जाना है। वास्तविक खतरे का परीक्षण सही उत्पादन करने में काफी सक्षम है।

जवाब दें और सुनिश्चित करें कि न्याय की शुद्धता हर जगह बनी रहे

स्थितियों की सीमा जहाँ पूर्वाग्रह मौजूद हो सकता है।

. वस्तुतः, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामलों में जहां न्यायाधीश का कार्यवाहियों के परिणाम में आर्थिक हित है, उसका अवमूल्यन स्वतः होता है। आगे कोई जांच नहीं कि क्या ऐसा [2019] 15 एस. सी. आर. है।

20. आर. वी. बो स्ट्रीट मेट्रोपॉलिटन वजीफा मजिस्ट्रेट, पूर्व पी पिनोचेट उगार्ते (संख्या 2), (2000) 1 ए. सी. 119 ने एक न्यायाधीश के लिए स्वचालित अयोग्यता के मामलों में एक और श्रेणी जोड़ी। चिली के एक पूर्व तानाशाह पिनोशे को कार्यालय में उनके कार्यकाल के दौरान उनके आचरण के लिए गिरफ्तार करने और इंग्लैंड से प्रत्यर्पित करने की मांग की गई थी। मुद्दा यह था कि क्या पिनोशे इस तरह की गिरफ्तारी या प्रत्यर्पण से प्रतिरक्षा के हकदार थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक धर्मार्थ संगठन, ने अदालत की अनुमति से उक्त कार्यवाही में भाग लिया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि पिनोशे को ऐसी कोई छूट नहीं है। इसके बाद, यह पता चला कि लॉर्ड हॉफमैन, पिनोशे मामले की सुनवाई करने वाले बोर्ड के सदस्यों में से एक, एक कंपनी (जिसे ए. आई. सी. एल. के रूप में जाना जाता है) के निदेशक और अध्यक्ष थे, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। लॉर्ड हॉफमैन की ओर से पक्षपात के आधार पर पहले के फैसले को दरकिनार करने के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक आवेदन किया गया था।

21. हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निम्नलिखित प्रश्नों की जांच कीः (i) क्या लॉर्ड हॉफमैन के एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ संबंध के कारण उन्हें स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था?

खतरा पैदा करना या एक उचित आशंका पैदा करना कि उसका निर्णय पक्षपातपूर्ण है-क्या आवश्यक है? (iii) क्या इससे कोई फर्क पड़ा कि लॉर्ड हॉफमैन केवल एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़ी कंपनी के सदस्य थे?

22. लॉर्ड विल्किंसन ने उन सिद्धांतों का सारांश दिया जिन पर एक न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। लॉर्ड विल्किंसन के अनुसारः (पिनोचेट मामला, ए. सी. पीपी. 132 जी-एच-133 ए-सी)

" मूल सिद्धांत यह है कि एक व्यक्ति न्यायाधीश नहीं हो सकता है।

अपने ही कारण से। यह सिद्धांत, जैसा कि न्यायालयों द्वारा विकसित किया गया है, इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

इसके दो बहुत समान लेकिन समान प्रभाव नहीं हैं। सबसे पहले यह हो सकता है

शाब्दिक रूप से लागू किया जाए: यदि कोई न्यायाधीश वास्तव में मुकदमे का पक्षकार है

वास्तव में अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश के रूप में बैठा है। उस मामले में, केवल यह तथ्य कि वह कार्रवाई में एक पक्ष है या उसके पास वित्तीय या

इसके परिणाम में स्वामित्व हित उसके कारण बनने के लिए पर्याप्त है।

स्वचालित अयोग्यता। दूसरा आवेदन

सिद्धांत वह है जहाँ एक न्यायाधीश मुकदमे का पक्षकार नहीं होता है और करता है

इसके परिणाम में वित्तीय हित नहीं है, लेकिन कुछ अन्य में

जिस तरह से उसका आचरण या व्यवहार संदेह को जन्म दे सकता है कि

वह निष्पक्ष नहीं है, उदाहरण के लिए उसके साथ उसकी दोस्ती के कारण

एक पार्टी। यह दूसरे प्रकार का मामला सख्ती से नहीं बोल रहा है इस सिद्धांत का अनुप्रयोग कि एक आदमी को अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए

मेरे निर्णय में, यह मामला मामले की पहली श्रेणी में आता है, अर्थात्। जहाँ न्यायाधीश को अयोग्य ठहराया जाता है क्योंकि वह एक न्यायाधीश है

क्या वह स्वयं इस उद्देश्य का एक पक्ष है, या इसका कोई प्रासंगिक हित है विषय-वस्तु, उसे बिना किसी जांच के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है

क्या पक्षपात की कोई संभावना या संदेह था। केवल यह

उसके हित का तथ्य उसे अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त है जब तक कि वह

पर्याप्त खुलासा किया "।

66 तब सवाल यह उठता है कि क्या गैर-वित्तीय मुकदमेबाजी में, परिणाम में वित्तीय या स्वामित्व हित के अलावा कुछ भी किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराने के लिए स्वचालित रूप से पर्याप्त है।कारण में न्यायाधीश "।

(जोर दिया गया)

उन्होंने कहा कि हालांकि पहले के मामलों में

" सभी के आधार पर स्वचालित अयोग्यता से निपटा गया

आर्थिक हित में, स्वचालित अयोग्यता को सीमित करने के लिए सिद्धांत रूप में कोई अच्छा कारण नहीं है "। (एसी पी। 135 बी)23. लॉर्ड विल्किंसन ने निष्कर्ष निकाला कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और इसकी सहयोगी

कंपनी जिसे ए. आई. सी. एल. के नाम से जाना जाता है, का गैर-आर्थिक हित [2019] 15 एस. सी. आर. था।

यह स्थापित किया कि सीनेटर पिनोशे प्रत्यर्पण की प्रक्रिया से अछूते नहीं थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला किः (पिनोचेट मामला, ए. सी. पी. 135 सी डी) " ..... मुद्दा धन या आर्थिक लाभ से संबंधित नहीं है, लेकिन कारण को बढ़ावा देने से संबंधित है, एक न्यायाधीश को अयोग्य ठहराने का तर्क उतना ही लागू होता है जितना कि न्यायाधीश के निर्णय से एक ऐसे कारण को बढ़ावा मिलेगा जिसमें न्यायाधीश एक पक्ष के साथ शामिल है।

(जोर दिया गया)

24. इस तरह के समापन के बाद, अंतिम प्रश्न पर विचार करते हुए, क्या इस तथ्य से कि लॉर्ड हॉफमैन केवल ए. आई. सी. एल. के सदस्य थे, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल के सदस्य नहीं थे, लॉर्ड विल्किंसन ने विचार व्यक्त किया कि सिद्धांत में कोई अंतर आयाः (पिनोचेट मामला, ए. सी. पी. 132 एच 133 ए)

भले ही किसी न्यायाधीश का वित्तीय हित न हो

किसी मामले का परिणाम, लेकिन किसी अन्य तरीके से उसका आचरण या

व्यवहार इस संदेह को जन्म दे सकता है कि वह निष्पक्ष नहीं है।

और माना किः (एसी पी। 135 ई-एफ)

“ ..... यदि न्यायपालिका की पूर्ण निष्पक्षता होनी है

बनाए रखा, एक नियम होना चाहिए जो स्वचालित रूप से

एक न्यायाधीश को अयोग्य ठहराता है जो शामिल है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या

एक कंपनी का निदेशक, समान कारणों को बढ़ावा देने में वही संगठन जो मुकदमे का एक पक्ष है। कोई जगह नहीं है।

उत्तम भेदों के लिए। "

मामले के इस पहलू पर पी. डी. दिनाकरन (1) v. में विचार किया गया था। न्यायाधीश जांच समिति, (2011) 8 एस. सी. सी. 380

25. उपरोक्त निर्णयों से, हमारी राय में, निम्नलिखित सिद्धांत

उभरते हैंः

25.1 . यदि किसी न्यायाधीश का किसी मामले के परिणाम में वित्तीय हित है, वह स्वतः ही मामले की सुनवाई से अयोग्य हो जाता है।

25.2 . ऐसे मामलों में जहां मामले में न्यायाधीश का हित वित्तीय के अलावा अन्य है, तो अयोग्यता स्वचालित नहीं है, लेकिन एक जांच की आवश्यकता है कि क्या इस तरह के हित का अस्तित्व इंदौर विकास है।

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

27. सवाल यह है कि क्या पिनोशे मामले में निर्धारित कानून का सिद्धांत आकर्षित होता है। दूसरे शब्दों में, क्या यह कहा जा सकता है कि न्यायमूर्ति खेहर किसी भी हित को साझा कर रहे हैं जिसे एक पक्ष बढ़ावा दे रहा है। इन कार्यवाही के सभी पक्ष होने का दावा करते हैं एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य को बढ़ावा देना। पक्षों के बीच एकमात्र मतभेद उस प्रक्रिया के बारे में है जिसके द्वारा ऐसा परिणाम प्राप्त किया जाना है।

हासिल किया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायमूर्ति खेहर किसी भी हित को साझा करते हैं जिसे कार्यवाही का कोई भी पक्ष बढ़ावा देना चाहता है।

28. श्री नरीमन के निवेदन का निहितार्थ यह है कि न्यायमूर्ति खेहर विवादित कानून को अमान्य ठहराने के लिए पूर्व निर्धारित होंगे। हम याचिकाकर्ताओं के रुख को समझने में विफल हैं। यदि याचिकाकर्ताओं की ऐसी आशंका सच हो जाती है, तो लाभार्थी केवल याचिकाकर्ता ही होंगे। इस आधार पर शिकायत, यदि कोई हो, तो उत्तरदाताओं की ओर से होनी चाहिए।

30. हमारे ध्यान में कोई मिसाल नहीं लाई गई है, जहां अदालतों ने न्यायनिर्णायक की ओर से पक्षपात के लाभार्थी के कहने पर फैसला सुनाया है कि कोई निर्णय या प्रशासनिक निर्णय या तो पक्षपात के आधार पर शून्य या शून्य। दूसरी ओर, यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि पूर्वाग्रह [2019] 15 एस. सी. आर. पर आधारित आपत्ति।

न्यायनिर्णायक को माफ किया जा सकता है। न्यायालय आम तौर पर पीड़ित पक्ष द्वारा देर से उठाई गई इस तरह की आपत्ति को स्वीकार नहीं करते थेः

" अयोग्य ठहराए गए न्यायनिर्णायक पर आपत्ति करने के अधिकार को माफ किया जा सकता है, और यह तब भी हो सकता है जब अयोग्यता वैधानिक हो। अदालत आम तौर पर इस बात पर जोर देती है कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त पक्ष को उन तथ्यों के बारे में पता चलते ही आपत्ति ली जाएगी जो उसे अधिकार देते हैं।

आपत्ति करने के लिए। यदि, उसके या उसके सलाहकारों को अयोग्यता के बारे में पता चलने के बाद, वे बिना विरोध के कार्यवाही जारी रखने देते हैं, तो उन्हें अपनी आपत्ति माफ करने के लिए माना जाता है और निर्धारण नहीं कर सकता है। चुनौती दी जाए "।

हमारी राय में, उपरोक्त सिद्धांत का निहितार्थ यह है कि केवल एक पक्ष जिसे न्यायनिर्णायक की ओर से पक्षपात की संभावना के कारण प्रतिकूल निर्णय का सामना करना पड़ा है या जिसके पीड़ित होने की संभावना है, वह आपत्ति उठा सकता है।

31. श्री नरीमन द्वारा वर्णित महत्वपूर्ण शक्ति केवल कॉलेजियम के सदस्यों के पास ही नहीं है, बल्कि इस न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश के पास है, जिनसे अपनी राय व्यक्त करने के लिए कहा जा सकता है

इस न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों या न्यायाधीशों की विभिन्न नियुक्तियों के प्रस्तावों के संबंध में, जबकि कॉलेजियम के सदस्यों को उपर्युक्त श्रेणियों की प्रत्येक नियुक्ति के संबंध में ऐसी "महत्वपूर्ण शक्ति" का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से ऐसी "महत्वपूर्ण शक्ति" का प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है, कम से कम उस उच्च न्यायालय में या उससे नियुक्तियों के संबंध में, जिसके साथ वे पहले न्यायाधीशों या मुख्य न्यायाधीशों के रूप में जुड़े थे। यदि श्री नरीमन के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इस न्यायालय के सभी न्यायाधीश वर्तमान विवाद की सुनवाई करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। एक परिणाम जिसकी "आवश्यकता के सिद्धांत" द्वारा कानूनी रूप से अनुमति नहीं है।

न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर ने अपनी राय में इस प्रकार टिप्पणी की हैः

" 57. कारण जो मेरे खिलाफ बताया गया था, मेरी मांग करने के लिए

अस्वीकार करना यह था कि मैं 1 + 4 कॉलेजियम का हिस्सा था। लेकिन यह अनिल आर. दवे, जे. के लिए भी अयोग्यता होनी चाहिए थी। जब उन्होंने मामलों की सुनवाई शुरू की, और 7-4-2015 तक, उन्हें वही कथित अयोग्यता का सामना करना पड़ा। फिर भी, मेरे खिलाफ जो आपत्ति उठाई गई, वह उनके खिलाफ नहीं उठाई गई। जब सामना किया जाता है, श्री

फली एस. नरीमन ने मुखरता से विरोध किया कि उन्होंने अनिल आर. दवे, जे. से अलग होने की मांग नहीं की थी। उन्होंने इंदौर विकास के साथ अपने दावे का समर्थन किया।

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

सबूत। आश्चर्य होता है कि उन्होंने अनिल आर. डेव, जे. से अलग होने की मांग क्यों नहीं की? इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं है कि मैं 1 + 4 कॉलेजियम का सदस्य रहा हूं, और यह संभावना है कि मैं भी जल्द ही एनजेएसी का सदस्य बन जाऊंगा, अगर याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई वर्तमान चुनौती सफल नहीं होती। इसलिए मैं चयन प्रक्रिया का हिस्सा बना रहूंगा, चाहे कोई भी प्रक्रिया हो। हालाँकि हम चारों के संदर्भ में यही स्थिति है (तत्काल पाँच-न्यायाधीश पीठ पर)। मेरे अलावा, मेरे सहकर्मी

प्रचार किया गया। मेरे सुविचारित विचार में, मेरे अलग होने की प्रार्थना अच्छी तरह से आधारित नहीं है। अगर मैं अपने लिए प्रार्थना स्वीकार करूँ अस्वीकार करने पर, मैं एक गलत अभ्यास शुरू कर रहा हूँ, और एक गलत मिसाल कायम कर रहा हूँ। एक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसे सौंपे गए मामले से अपने दम पर अलग हो सकता है। यह उनकी अपनी पसंद का मामला होगा। लेकिन एक वादी पक्ष के पूछने पर अलग होना,

पद पर रहते हुए, बिना किसी डर या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ लेते हैं। वह अपने पद की शपथ का उल्लंघन करेगा, अगर वह अलग होने की प्रार्थना स्वीकार करता है, जब तक कि उचित न हो। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। पूर्ण गंभीरता और ईमानदारी के साथ। संविधान और कानूनों को बनाए रखने के लिए अपने पद की शपथ का पालन करना मेरा कर्तव्य है। न्यायपीठ का हिस्सा बने रहने का मेरा निर्णय उस शपथ से आता है जो मैंने इस न्यायालय में अपनी पदोन्नति के समय ली थी।

(जोर दिया गया)

न्यायमूर्ति लोकुर ने अपनी राय में कहा हैः

" 60. मेरी सम्मानजनक राय में, जब किसी न्यायाधीश को किसी मामले की सुनवाई से अलग करने के लिए आवेदन किया जाता है, तो आवेदन है -

संबंधित न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया, न कि समग्र रूप से पीठ के समक्ष। इसलिए, मेरे विद्वान भाई न्यायमूर्ति खेहर का यह कहना बिल्कुल सही है कि निर्णय पूरी तरह से उनका है, और मैं उनके निर्णय का सम्मान करता हूं।

65. किसी मामले की सुनवाई से अलग होने का मुद्दा उतना आसान नहीं है जितना प्रतीत होता है। सामने रखे गए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं और चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के आवेदन लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए समय आ गया है कि इस संबंध में कुछ प्रक्रियात्मक और मूल नियम बनाए जाएं। यदि उचित नियम बनाए जाते हैं, तो किसी मामले में, यह पीठ के अन्य न्यायाधीशों को शर्मिंदा होने से बचाएगा।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अलग होने का निर्णय न्यायाधीश का है

अनुचित और अनुचित दबाव की कभी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

35. विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने इस पर भरोसा किया है

सुब्रत राय सहारा बनाम में निर्णय भारत संघ और अन्य। , (2014) C470। एक याचिका दायर करके पीठ से अलग होने की मांग की गई थी। इस तरह की प्रार्थना के कारण होने वाली शर्मिंदगी, की अवधारणागलती की पहचान, यदि कोई हो, गलती की पहचान और उसका सुधार

इस पर भी विचार किया गया। इस न्यायालय ने टिप्पणी की हैः

" 7. अब शर्मिंदगी का हिस्सा। के माध्यम से चला गया

रिट याचिका की दलीलों से हम संतुष्ट थे कि कुछ भी नहीं

इसमें व्यक्त किया जाना अपमानजनक या अपमानजनक माना जा सकता है।

हमें शर्मिंदा करके परेशान करें। एक गलती के लिए हमारे द्वारा पारित पहले के आदेश को संशोधित करने के लिए जो हमने की हो सकती है

अभिलेख पर स्पष्ट रूप से, एक अधिकार क्षेत्र है जिसका हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत नियमित रूप से प्रयोग करते हैं। इसके अलावा, यह एक पक्ष के लिए एक सुधारात्मक याचिका दायर करने के लिए खुला है जैसा कि इस न्यायालय ने रूपा अशोक हुर्रा बनाम में कहा था। अशोक हुर्रा (2002) 4 एस. सी. सी.

388. इन क्षेत्राधिकारों का नियमित रूप से हमारे द्वारा बिना किसी शर्मिंदगी के प्रयोग किया जाता है। गलत आदेश का सुधार कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं करेगा। गलती को पहचानना और उसे सुधारना निश्चित रूप से हमें शर्मिंदा नहीं करेगा। हमारे सुविचारित विचार में, आदेश आने पर शर्मिंदगी पैदा होगी। हमला व्यक्तिगत और/या बाहरी विचारों द्वारा प्रेरित होता है, और अभिवचन इस तरह के आरोप को दर्ज करते हैं। वर्तमान रिट याचिका में ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया था। और इसलिए, हम पूरी तरह से संतुष्ट थे कि याचिकाकर्ता द्वारा महसूस की गई भावना, कि हम एक उचित आदेश पारित नहीं करेंगे, यदि दिनांकित 4-3-2014 का आदेश आंशिक रूप से या पूरी तरह से अनुचित पाया गया था,

पूरी तरह से गलत "।

36. सुब्रत राय सहारा (ऊपर) मामले में इस न्यायालय ने श्री आर. के. आनंद के मामले (ऊपर) के निर्णय को भी संदर्भित किया है जिसमें यह इंदौर विकास था।

ved कि अलग होने का मार्ग अक्सर एक सुविधाजनक और एक न्यायाधीश के रूप में एक नरम एन होता है जिसका किसी विशेष मामले को करने में कोई निहित हित नहीं होता है। यह भारत की संस्था है जो एक न्यायाधीश को अपनी क्षमता, ज्ञान और निर्णय के अनुसार बिना किसी भय या पक्षपात के कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देती है। एफ़्रोंट्स, जिब्स, और सचेत रूप से नियोजित एस को हमें अपनी भारी ज़िम्मेदारी निभाने से नहीं रोकना चाहिए।न्यायालय ने टिप्पणी की हैः

" 10. हमने उपरोक्त कथन को दर्ज किया है, ऐसा न हो कि हम पर प्रस्तुतियों को सही ढंग से चित्रित नहीं करने का आरोप लगाया जाए क्योंकि वे हमारे सामने प्रचार किए गए थे। हमारी समझ में, हमारे पद की शपथ के लिए हमें सुनवाई के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। और इस तरह की प्रस्तुतियों से भयभीत न हों। हमारे विचार में, मामले की सुनवाई नहीं करना, हमारे पद की शपथ का उल्लंघन करने वाला कार्य होगा, जो हमें अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अनिवार्य करता है, अपनी क्षमता के अनुसार, बिना किसी डर या भय के।

अनुग्रह, स्नेह या दुर्भावना।

11. यह निश्चित रूप से पहली बार नहीं है जब अलग होने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान वकील द्वारा माँगा गया है। इस तरह का रिकॉर्ड श्री आर. के. आनंद, एक प्रख्यात व्यक्ति द्वारा आकस्मिक प्रार्थना की गई थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष

न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन को उनकी व्यक्तिगत सुनवाई से अलग करना

मामला। श्री न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन ने अनुरोध को अस्वीकार करते हुए श्री आर. के. आनंद द्वारा बनाया गया, निम्नानुसार देखा गयाः

" अलग होने का रास्ता अक्सर एक सुविधाजनक और एक नरम विकल्प होता है। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि एक न्यायाधीश का वास्तव में किसी विशेष मामले को करने में कोई निहित स्वार्थ नहीं होता है। हालाँकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत ली गई पद की शपथ न्यायाधीश को संविधान और कानूनों को बनाए रखते हुए विधिवत और ईमानदारी से और अपनी सर्वोत्तम जानकारी और निर्णय के अनुसार, भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के बिना पद के कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देती है। एक मामले में, जहां पक्षपात के निराधार और प्रेरित आरोप मंच शिकार/बेंच वरीयता या अदालत को भौंकने के दृष्टिकोण से लगाए जाने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह के दबाव के आगे झुकना पद की शपथ को पूरा नहीं करने के समान होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्धारण पर आर. के. आनंद बनाम मामले में इस न्यायालय के समक्ष हमला किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय, (2009) 8

एससीसी 106। उच्च न्यायालय का निर्धारण जिसके द्वारा श्री न्यायमूर्ति [2019] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मनमोहन सरीन ने सुनवाई से हटने से इनकार कर दिया निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को बरकरार रखा गयाः (एस. सी. सी पी. 192, पैरा 263)

" 263. उपरोक्त परिच्छेद, हमारे विचार में, सही ढंग से सारांशित करता है

अनुरोध पर अदालत की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए

अदालत को डराने-धमकाने के इरादे से अलग होने के लिए या

एक 'असुविधाजनक' न्यायाधीश से बेहतर पाने या भ्रमित करने के लिए

मुद्दे या कार्यवाहियों में बाधा डालने और देरी करने के लिए

या किसी अन्य तरीके से पाठ्यक्रम को हतोत्साहित या बाधित करें

न्याय "।

(जोर दिया गया)

वास्तव में, दिल्ली उच्च न्यायालय और इस न्यायालय की टिप्पणियों से पता चलता है कि जब विद्वान वकील ने सुनवाई की शुरुआत में न्यायालय को संबोधित किया तो यह कैसा महसूस हुआ। यदि यह विद्वान वकील की मुद्रा की हरकतें थीं, जिसका उद्देश्य बेंच-शिकार या बेंच-कूदना (या हमें कहना चाहिए, बेंच-टालना) था, तो हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। एफ़्रोंट्स, जिब्स और सावधानीपूर्वक और सचेत रूप से नियोजित स्नब हमें अपनी भारी जिम्मेदारी निभाने से नहीं रोक सके। हम सुनवाई के दौरान किसी भी समय बाहर निकल सकते हैं और मामले का फैसला करने के लिए दूसरी पीठ के लिए रास्ता बना सकते हैं, अगर कभी हमें लगा कि यह उचित मार्ग होगा। इस मामले की सुनवाई किसी अन्य पीठ के लिए बेहतर होगी या नहीं, यह सामने आएगा।

हम वर्तमान निर्धारण के क्रम में निष्कर्ष निकालेंगे।

131. अब हम उन निर्णयों के सार और महत्व के बारे में बात करेंगे जिन पर भरोसा किया गया था। यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि हमारा इन दोनों कंपनियों में से किसी के साथ कोई संबंध है। संदर्भ, या कोई अन्य कंपनी/फर्म जो सहारा समूह का गठन करती है। हम कह सकते हैं कि हम दोनों में से किसी की भी संबंधित दो कंपनियों या सहारा समूह की किसी अन्य कंपनी/फर्म के साथ एक भी हिस्सेदारी नहीं है। इस मामले में सभी अस्पष्टता को दूर करने के लिए हम आगे कहेंगे कि हम में से न तो, और न ही हमारे आश्रित परिवार के किसी सदस्य के पास किसी भी कंपनी में एक भी हिस्सेदारी नहीं है। हम दोनों में से किसी को भी मदद नहीं मिली है।

इस मामले में, किसी भी कानून क्लर्क, इंटर्न या कर्मचारी सदस्य द्वारा गुण-दोष पर इसके निर्धारण के लिए, इंदौर विकास प्राधिकरण की सुनवाई, उससे निपटने या निर्णय लेने के दौरान।

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

विवाद। न ही इस संबंध में कोई दावा किया गया है।

याचिकाकर्ता या उसके विद्वान वकील द्वारा हमारे खिलाफ। तदनुसार, तथ्यात्मक स्थिति, जो विद्वान वकील द्वारा किए गए निर्णयों का आधार थी, तथ्यों में उपलब्ध नहीं है और इस मामले की परिस्थितियाँ। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा इस विषय पर किसी भी निर्णय पर भरोसा नहीं किया गया है -

पक्षपात, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होते हैं। हम संतुष्ट हैं कि किसी भी प्रच्छन्न आक्षेप द्वारा नहीं डाला गया

विद्वान वरिष्ठ वकील, इस उक्ति के आह्वान को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त होंगे, कि न्याय वास्तव में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि किया गया प्रतीत भी होना चाहिए। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, भले ही पीठ के रूप में हमारा संयोजन उस समय मौजूद नहीं था, जब वर्तमान याचिका दायर की गई थी, माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा वर्तमान संयोजन के साथ एक विशेष पीठ का गठन किया गया था। किसी भी वादी को हमें सौंपी गई भारी जिम्मेदारी का निर्वहन करने से रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा।

135. डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी हम पर विवाद के संबंध में एक प्रवृत्ति होने का आरोप लगाया। उनके अनुसार, यह प्रवृत्ति एक के आधार पर प्रतीत होती है "दूसरे पक्ष" के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता। सुनवाई के दौरान इस दावे को कई बार दोहराया गया। लेकिन, दूसरा पक्ष क्या है? हमारे दिनांकित 31-8-2012 आदेश के संदर्भ में दूसरी ओर केवल भारत सरकार को लाभ हुआ है। 31-8-2012 दिनांकित हमारे आदेश की आठवीं दिशा इस प्रकार हैः (एस. सी. सी पी. 172, पैरा 326)

" 326.8 . एस. ई. बी. आई. (डब्ल्यू. टी. एम.) यदि विवरणों के सत्यापन के बाद

प्रस्तुत, सभी के ठिकाने का पता लगाने में असमर्थ है या

अभिदाताओं में से कोई भी, फिर ऐसी राशि से एकत्र की गई राशि

अभिदाताओं को सरकार के लिए विनियोजित किया जाएगा भारत "।

(जोर दिया गया)

यदि "दूसरा पक्ष" भारत सरकार है, तो निश्चित रूप से है

विद्वान वकील द्वारा लगाए गए आक्षेप में कोई सार नहीं है। इस मामले का केवल उपरोक्त पहलू प्रभाव और प्रभाव के लिए विद्वान सलाहकार द्वारा व्यवस्थित रूप से उतारे गए सभी सावधानीपूर्वक तैयार किए गए आक्षेपों के बुलबुले को फोड़ने के लिए पर्याप्त है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

137. जसवंत सिंह बनाम में उपरोक्त निर्णय में अभिलिखित टिप्पणियां। विरेन्द्र सिंह, 1995 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 384, याचिकाकर्ता श्री सुब्रत राय सहारा और कुछ विद्वान वरिष्ठ वकीलों के तौर-तरीकों और व्यवहार पर पूरी तरह से लागू होते हैं। हम इस मामले से अलग होने से इनकार कर देते, भले ही "दूसरा पक्ष" एक निजी पक्ष होता। क्योंकि, हमारे पद की शपथ से हमें बिना किसी डर या पक्षपात के अपने दायित्वों का निर्वहन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम

सभी न्यायालयों की भी सराहना की जाती है कि वे इसी तरह सभी आधारहीन और निराधार आक्षेपों को खारिज करें, जब तक कि उन्हें अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारणों से किसी विशेष मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

भागीदारी। यह मानदंड कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि किया गया प्रतीत भी होना चाहिए, हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए।

37. आर. के. आनंद बनाम पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय, (2009) 8

106 , यह देखा गयाः

264. हम यहाँ एक पल के लिए रुकने के लिए विवश हैं और

इस तथ्य पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि हाल ही में ऐसी प्रवृत्तियाँ

और प्रथाओं में वृद्धि हो रही है। हम ऐसे उदाहरणों में आए हैं जहां कोई एक न्यायाधीश (जो ऐसे मामलों में काफी रक्षाहीन है) पर पत्थर फेंकता है। और बाद में न्यायाधीश को सुनवाई से खुद को अलग करने के लिए कहने के लिए एक आधार के रूप में अनावश्यक हमले का हवाला देते हैं जिस मामले में वह पेश होगा। इस तरह का आचरण संबंधित न्यायाधीश को गहरी चोट पहुँचाने के लिए बाध्य है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह न्याय के प्रशासन के मूल सिद्धांतों की अवहेलना करता है। इसलिए, अलग होने के लिए एक प्रेरित आवेदन से सख्ती से निपटने की आवश्यकता है और इसे सामान्य रूप से न्याय के नियत मार्ग में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे दंडात्मक परिणाम हो सकते हैं।

38. कामिनी जयस्वाल बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. , (2018) 1 एस. सी. सी. इस न्यायालय ने अलग होने के मामले को इस प्रकार निपटायाः

" 24. इस तरह के मामले में हितों का टकराव नहीं है। यदि कोई न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई कर रहा है और उसे पता चलता है कि कोई पक्ष अनैतिक रूप से निर्णय लेने को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है या कदाचार में लिप्त होने के कारण, न्यायाधीश का यह दायित्व है कि वह न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत ऐसे मामले का संज्ञान ले और ऐसे व्यक्ति के साथ कानून के अनुसार व्यवहार करे और उसे दंडित करे क्योंकि यह हितों का टकराव नहीं है, बल्कि वह उद्देश्य है जिसके लिए पूरी प्रणाली मौजूद है। इस तरह की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और किसी न्यायाधीश को हितों के टकराव के आधार पर अलग करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, यह इस देश की न्यायिक प्रणाली के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण के लिए सबसे दुखद दिन होगा।

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

निराधार आरोपों और सामग्रियों पर ऐसे पहलुओं की अनदेखी करें। याचिकाकर्ता के लिए हितों के टकराव का आरोप लगाना अत्यधिक अनुचित था

याचिका में कहा गया है कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक पक्ष पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए या मामले को प्रशासनिक पक्ष पर आवंटित नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक के बाद एक याचिकाएं दायर करके विशेष अनुरोध किया गया है और भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से मामलों के आवंटन के लिए शक्ति का प्रयोग करने से बचने का अनुरोध किया गया है।

स्पष्ट रूप से मंच शिकार का एक प्रयास है और इसे सबसे मजबूत संभव शब्दों में अस्वीकार किया जाना चाहिए। इस तरह की निंदनीय टिप्पणियां करना

न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने के समान, एक अधिवक्ता इस आधार पर जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है कि उसने शमशेर सिंह बेदी बनाम में निर्धारित अपनी व्यक्तिगत क्षमता में इसका मसौदा तैयार किया था। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय,

भविष्य में याचिकाकर्ता की किसी भी जनहित याचिका पर विचार नहीं करना। 27. इस न्यायालय ने मंच खरीदारी की विभिन्न श्रेणियों पर विचार किया

भारत संघ बनाम। सिप्ला लिमिटेड (2009) 8 एस. सी. सी. 106. यहां तक कि हितों के टकराव के आरोप लगाने के लिए भी मामले को दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, जिसे मंच शिकार का एक और रूप भी माना गया है। इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों पर इस प्रकार विचार किया हैः (एससीसी पीपी। 318-20 , पैरा 146-155)

" 146. विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि सिप्ला थी

बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदस्य के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामा और अंततः संपर्क किया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय राहत के लिए जिसके परिणामस्वरूप विवादित निर्णय और दिनांक 3-3-2004 का आदेश दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि सिप्ला ने राहत के लिए कई संवैधानिक अदालतों का दरवाजा खटखटाया था, इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शुरू की गई कार्यवाही स्पष्ट रूप से फोरम शॉपिंग के बराबर है।

147. हम विद्वान महान्यायवादी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। फोरम खरीदारी में कई रंग और रंग लगते हैं और

सिप्ला की याचिकाएं फोरम शॉपिंग की किसी भी श्रेणी में नहीं आती हैं।

148. फोरम शॉपिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण तब होता है जब कोई वादी राहत के लिए एक अदालत का दरवाजा खटखटाता है लेकिन उसे वांछित राहत नहीं मिलती है।

और फिर उसी राहत के लिए दूसरे न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। यह

राजीव भाटिया बनाम में हुआ। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (1999) 8 एस. सी. सी. 525। एक छोटे बच्चे की प्रतिवादी माँ ने राजस्थान उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की थी और जाहिर तौर पर उस न्यायालय से आवश्यक राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की और आवश्यक राहत प्राप्त की। इसके बावजूद, इस न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में इस कारण से हस्तक्षेप नहीं किया कि इस न्यायालय ने बच्चे के विचारों का पता लगाया और पाया कि वह अपने दत्तक से बात भी नहीं करना चाहती थी माता-पिता और इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी माँ को दिए गए बच्चे की अभिरक्षा में हस्तक्षेप नहीं किया गया था। इस न्यायालय का निर्णय अपने तथ्यों पर है, भले ही यह एक

फोरम खरीदारी का क्लासिक मामला।

149. आरती बंदी बनाम। बंदी जगद्रक्षक राव, (2013) 15 एस. सी. सी. 790, इस न्यायालय ने नोट किया कि अदालत में अधिकार क्षेत्र नहीं है

आकस्मिक परिस्थितियों के संचालन या निर्माण से आकर्षित। उस मामले में, किसी विशेष उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए विवाद के एक पक्ष द्वारा परिस्थितियाँ बनाई गई थीं। इस न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि सृजित परिस्थितियों में अधिकार क्षेत्र की धारणा की अनुमति देने से केवल इसके परिणामस्वरूप मंच खरीदारी को बढ़ावा मिलता है।

150. उद्देश्यों के लिए परिस्थितियाँ बनाने का एक और मामला

फोरम शॉपिंग का वर्ल्ड टैंकर कैरियर कॉर्प था। वी. एस. एन. पी. शिपिंग सर्विसेज (पी) लिमिटेड, (1998) 5 एस. सी. सी. 310, जिसमें यह देखा गया था कि प्रतिवादी-वादी ने कार्रवाई का कारण लाने का जानबूझकर प्रयास किया था, अर्थात् बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर समुद्र में दो जहाजों के बीच टक्कर। बॉम्बे उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए एक जहाज को बॉम्बे लाने में किसी और चीज़ के बजाय मंच पर खरीदारी करने का चरित्र था।

इंदौर विकास प्राधिकरण v.

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

151. फोरम खरीदारी का एक अन्य रूप लाभ उठाना है

152. फोरम शॉपिंग का एक और रूप जगमोहन बहल बनाम में देखा गया था। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2014) 16 एस. सी. सी. 501, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक वादी को एक ही विद्वान न्यायाधीश द्वारा सुना जाना चाहिए, अन्यथा एक बेईमान वादी एक अनुकूल आदेश प्राप्त होने तक अलग-अलग न्यायाधीशों के समक्ष जमानत आवेदन दायर करता रहेगा। जब तक इस प्रथा को शुरुआत में ही समाप्त नहीं किया जाता, यह बेईमान वादियों को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें इस विचार का मनोरंजन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे मंच की खरीदारी में शामिल हो सकते हैं, जिसकी कानून में कोई मंजूरी नहीं है और

निश्चित रूप से कोई पवित्रता नहीं।

153. फोरम शॉपिंग की एक अन्य श्रेणी याचिका के प्रार्थना खंड में मामूली बदलाव करके एक ही राहत के लिए अलग-अलग अदालतों का दरवाजा खटखटाना है। उद्यामी इवाम खादी में

ग्रामोद्योग कल्याण संस्था बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2008) 1 एस. सी. सी. 560, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि एक वादी द्वारा चार रिट आवेदन दायर किए गए थे और हालाँकि प्रार्थनाएँ स्पष्ट रूप से थीं। अलग-अलग, प्रत्येक याचिका में मुख्य मुद्दा बैंक द्वारा अग्रिम राशि की वसूली के आसपास केंद्रित था। इसी तरह, कुछ [2019] 15 एस. सी. आर. को प्रतिस्थापित करना।

एक पर अधिकारिता प्रदान करने की दृष्टि से दूसरों के लिए याचिकाकर्ता विशेष अदालत उस समूह द्वारा मंच खरीदारी के बराबर भी होगी।

याचिकाकर्ताओं का।

154. अंत में और हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट में

अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन। वी. भारत संघ (निरस्तीकरण मामला), (2016) 5 एस. सी. सी. 808, खेहर, जे. ने फोरम शॉपिंग का एक और रूप देखा जहां एक वादी एक न्यायाधीश के खिलाफ कथित हितों के टकराव का आरोप लगाता है जिसमें न्यायाधीश को कार्यवाही से अलग होने की आवश्यकता होती है ताकि मामले को दूसरे को स्थानांतरित किया जा सके।

न्यायाधीश। 155. निर्दिष्ट निर्णय स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत को निर्धारित करते हैं कि न्यायालय को मुकदमेबाजी और वादी के लिए एक कार्यात्मक परीक्षण अपनाने की आवश्यकता है। यह देखना होगा कि क्या एक अदालत के बीच कार्यवाही में कोई कार्यात्मक समानता है।

और दूसरा या क्या किसी वादी की ओर से किसी प्रकार का छल है। यह कार्यात्मक परीक्षण है जो यह निर्धारित करेगा कि क्या

एक वादी मंच खरीदारी में लिप्त है या नहीं।

39. बाल किशन गिरि बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 7 एस. सी. सी. इस न्यायालय ने अपमानजनक टिप्पणियों और प्रणाली को नष्ट करने के प्रयासों पर विचार किया है। संबंधित भागों को नीचे निकाला गया हैः

" 12. एम. बी. संघी बनाम में यह न्यायालय। पंजाब का उच्च न्यायालय और हरियाणा, (1991) 3 एस. सी. सी. 600, इसी तरह के एक मामले की जांच करते हुए

देखा गयाः (एस. सी. सी पी. 602, पैरा 2)

" 2. ..... यदि पीठासीन न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ दंड से मुक्ति के साथ अपमानजनक और अपमानजनक टिप्पणी की जाती है तो [न्यायिक] प्रणाली की नींव, जो इसे चलाने वालों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर आधारित है, हिल जाएगी। यह सही समय है जब हम यह महसूस करें कि बहुत पोषित न्यायिक स्वतंत्रता को न केवल कार्यपालिका या विधायिका से बल्कि उन लोगों से भी संरक्षित किया जाना चाहिए जो प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका किसी भी स्वतंत्र समाज के लिए महत्वपूर्ण है।

13. आशाराम एम. जैन बनाम। ए. टी. गुप्ता, (1983) 4 एस. सी. सी. 125 ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः (एस. सी. सी पी. 127 ,

पैरा 3)

" 3. ..... मुकदमेबाजी के तनाव और अपमान को वादियों को इंदौर विकास को कलंकित करने, आतंकित करने और नष्ट करने के लिए प्रेरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

प्राधिकरण v.

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

न्यायाधीशों को बदनाम करके न्याय प्रशासन की प्रणाली। ऐसा नहीं है कि न्यायाधीशों को संरक्षित करने की आवश्यकता है; न्यायाधीश अपनी देखभाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। न्याय के उचित प्रशासन में जनता के अधिकार और हित की रक्षा की जानी चाहिए।

14. जेनिसन वी। बेकर, (1972) 2 क्यू. बी. 52, ऑल ई. आर. पी. 1006 डी, वह

यह देखा गयाः (क्यू. बी पी. 66 एच)

" ..... " कानून को शिथिलता से बैठे हुए नहीं देखा जाना चाहिए, जबकि जो इसकी अवहेलना करते हैं वे स्वतंत्र हो जाते हैं और जो इसकी सुरक्षा चाहते हैं वे हार जाते हैं

आशा करते हैं। " "

40. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनाम में निर्णय। कौशल के. वर्मा, (2015) 220 डीएलटी 446 (डब्ल्यू. पी. [C] No.4103/), जिसे हममें से एक, रवींद्र भट, जे. द्वारा प्रस्तुत किया गया है, का भी उल्लेख किया गया है,

" 25. इस असामान्य रूप से प्रारंभिक आदेश को समाप्त करने से पहले, जो आत्म-पुष्टि के खतरे में पड़ सकता है, न्यायालय का मानना है कि अलग होने के अनुरोध उचित आशंकाओं पर आधारित होने चाहिए। अटकलबाजी या काल्पनिक अनुमान नहीं हो सकते। एक अवलोकन जिस पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि आम तौर पर और विशेष रूप से अनुचित मांगों से प्रेरित होने से न्यायाधीशों पर बोझ पड़ सकता है, जिन्हें अंततः कारण तय करने के लिए बुलाया जाता है। जब भी ऐसा किया जाता है, संबंधित अदालत या इस तरह से आरोपित न्यायाधीश इसे गंभीरता से लेने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि यह न्याय वितरण-निष्पक्षता के आधार को कम करता है। बेवर्ली मैकलाचलिन (कनाडा के मुख्य न्यायाधीश) ("एक लोकतांत्रिक राज्य में निर्णय") के शब्दों को उधार लेने के लिएः

" ..... न्यायाधीश जीवित ओरेकल नहीं हैं। वे कानून में प्रशिक्षित मनुष्य हैं, जो अपने सामने की स्थितियों को समझने और कानून और अपनी अंतरात्मा के अनुसार उन्हें हल करने के लिए संघर्ष करते हैं। और न्यायाधीशों को गलत होने के साथ जीना सीखना चाहिए। मनुष्य के रूप में, न्यायाधीश अपने करियर की शुरुआत में आलोचना से निपटना सीखते हैं। हर नया न्यायाधीश न्यायिक वस्त्र धारण करता है और कभी गलती नहीं करने का संकल्प लेता है। और हर नया न्यायाधीश विफल हो जाता है। कभी-कभी पूर्ण चिंतन के अवसर के बिना निर्णय लिए जाने चाहिए। कानून पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकता है। सच्चाई मायावी हो सकती है। नतीजतन, सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीशों को भी अनिवार्य रूप से गलती करते हुए पाया जाता है। त्रुटियों को अपीलीय न्यायाधीशों द्वारा सार्वजनिक रूप से पहचाना जाता है और सभी को देखने के लिए स्पष्ट किया जाता है।

अपीलीय न्यायाधीश स्वयं गलती के लिए जाने जाते हैं और केवल सीमित सांत्वना प्रदान कर सकते हैं। ”

यदि कोई जोड़ सकता है, तो न्यायाधीश का अनुभव जितना अधिक होगा, वह उतनी ही तीव्र रूप से उसकी या उसकी दोषपूर्णता और आवेग या पूर्वाग्रह पर कार्य करने के नुकसान के बारे में जागरूक होगा। यात्रा जो शुरू होती है
निश्चित रूप से, बाद में कई धूसर क्षेत्रों के मार्ग की ओर जाता है। यह देखते हुए कि भाषा अपने आप में एक अपूर्ण माध्यम है, शब्द केवल पात्र हैं

विचारों को आकार देना और यह कि कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं है, कोई भी न्यायाधीश विचारों को संप्रेषित करने में परिपूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता है। यहाँ किसी वाक्यांश या वहाँ किसी अभिव्यक्ति पर जोर देना, जिसमें और कुछ नहीं है, वास्तव में किसी प्रवृत्ति या पूर्व-स्वभाव का खुलासा नहीं करेगा।

एक विशेष तरीके से निर्णय लें।

एक सहमति वाली राय इस प्रकार हैः

" 1. मैंने अपने भाई एस. रवींद्र भट, जे. द्वारा तैयार किए गए आदेश का मसौदा देखा है, जो उनकी अध्यक्षता वाली खंड पीठ द्वारा अलग होने के अनुरोध पर तैयार किया गया था। मैं उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों और उनके तर्क से पूरी तरह सहमत हूं। मैं केवल इतना जोड़ना चाहूंगा कि पीठ द्वारा अलग होने का अनुरोध इस तथ्य की अनदेखी करता है कि इसमें दो न्यायाधीश शामिल हैं जिनमें से प्रत्येक के पास आवेदन करने के लिए एक स्वतंत्र दिमाग है। समान राय वाले एक अन्य न्यायाधीश की उपस्थिति न्यायिक जांच की कठोरता को मजबूत करती है और इसे कम करके नहीं आंका जा सकता है।

41. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने विदेशी नियमों का उल्लेख करते हुए कहा है कि "जो दांव पर है वह विश्वास है जिसे एक लोकतांत्रिक समाज में अदालतों को जनता में प्रेरित करना चाहिए। तदनुसार, कोई भी न्यायाधीश जिसके संबंध में कमी से डरने का एक वैध कारण है

निष्पक्षता को वापस लेना चाहिए "। अपने निवेदन के समर्थन में, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्षक 28, न्यायपालिका और न्यायिक प्रक्रिया, 1948 की धारा 47 और यूरोपीय संघ के न्यायालय के नियमों के नियम 24 (5) (बी) का उल्लेख करते हुए कहा है कि उन मामलों की अध्यक्षता करने वाले किसी भी न्यायाधीश पर एक वैधानिक प्रतिबंध है जहां उनके द्वारा दिए गए निर्णयों पर निर्णय लिया जाना है।

अपील करें। 42. चैंबर जज के खिलाफ अपील से संबंधित निर्णय और नियम बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं है

अदालत। इसकी एक पूरी तरह से अलग संरचना है, और इसका अपना सुधारात्मक तंत्र है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यर्थी के वकील के ग्राहकों द्वारा उचित आशंका व्यक्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कानूनी इंदौर विकास प्राधिकरण v के संबंध में पूर्व-स्वभाव पर अलग होने का कोई सवाल ही नहीं है।

मनोहर लाल और ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

मुद्दा या दी जाने वाली राहत के बारे में, ऐसी आशंका भी है आधारहीन। अंतिम परीक्षा यह है कि यह न्यायाधीश को तय करना है और यह पता लगाना है कि क्या वह अपने आदेश पर किसी भी बौद्धिक क्षमता के साथ ईमानदारी के साथ निष्पक्ष न्याय देने में सक्षम होगा और वह किसी भी तथ्य या कानून से पूर्वाग्रहित नहीं है और एक स्वतंत्र दृष्टिकोण लेने में सक्षम है। इसका उत्तर यह जाँचने में निहित होगा कि क्या बिना किसी पूर्वाग्रह के या बिना किसी दबाव के या इस तरह की प्रार्थना से नाराज भी नहीं है।

अलग होना, क्या वह मामले का निष्पक्षता से फैसला कर सकता है। यदि इसका उत्तर यह है कि वह इस उद्देश्य के लिए न्याय देने में सक्षम होगा, तो वह किसी भी मामले से अलग नहीं हो सकता है और उसे अलग नहीं होना चाहिए क्योंकि संविधान द्वारा सौंपा गया कर्तव्य शपथ के अनुसार किया जाना है और इसमें व्यापक सार्वजनिक हित निहित है। वह न्यायपालिका में आम आदमी के विश्वास को हिला नहीं सकते क्योंकि यह उनके लिए आखिरी उम्मीद है।

भागीदारी यदि एक बड़ी पीठ में है, यदि उस दृष्टिकोण को फिर से विचार के लिए भेजा जाता है। पिछला निर्णय पक्षपात या पूर्व स्वभाव का गठन नहीं कर सकता है-और न ही यह ऐसा प्रतीत हो सकता है, जिससे उचित निर्णय लिया जा सके। पक्षपात की आशंका। न ही किसी निर्णय के माध्यम से अभिव्यक्तियाँ (एक प्रतिकूल प्रक्रिया में तर्कों के परिणाम पर आधारित) एक मानदंड या कानूनी सिद्धांत, या प्रावधानों के गुण-दोष पर "विषय वस्तु" पूर्वाग्रह हो सकती हैं।

इस अदालत के पिछले फैसलों और व्यवहार ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि कोई बाधा नहीं हो सकती है और न ही हो सकती है जैसा कि उत्तरदाताओं के वरिष्ठ वकील तर्क देते हैं। अलग होने की याचिका को स्वीकार करना न्याय वितरण की स्वतंत्र प्रणाली के लिए मौत की घंटी की तरह लगेगा, जहां वादी विशेष मामलों या कारणों में अपनी पसंद के न्यायाधीशों की भागीदारी को निर्देशित करेंगे।

44. किसी भी वादी द्वारा पीठ चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। यह न्यायाधीश को अलग करने का निर्णय लेना है। सुनने में शर्म आना

अलग होने के लिए लंबी दलीलें अलग होने का एक मजबूर करने वाला कारण नहीं होना चाहिए। विभिन्न निर्णयों में निर्धारित कानून ने मुझे मामले से अलग नहीं होने और कर्तव्य का पालन करने के लिए मजबूर किया है।

परिणाम, क्योंकि न्याय के वितरण या न्यायाधीश के रूप में कर्तव्य के निर्वहन और न्यायिक निर्णय लेने के रास्ते में कुछ भी नहीं आना चाहिए। पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह के लिए कोई जगह नहीं है। न्याय को शुद्ध, बेदाग, किसी भी कारक से अप्रभावित होना चाहिए, और यहां तक कि अलग होने का निर्णय भी नहीं लिया जा सकता है।

बाहरी ताकतों से प्रभावित। हालाँकि, अगर मैं अलग हो जाता हूँ, तो यह कर्तव्य की अवहेलना होगी, व्यवस्था के साथ अन्याय होगा, और अन्य न्यायाधीशों के लिए जो [2019] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भविष्य में बेंच/ईएस। मैंने मुद्दे की बारीकियों और बहुत महत्वपूर्ण रूप से अपनी अंतरात्मा पर विचार करने के बाद एक सूचित निर्णय लिया है। मेरी राय में, मैं परिस्थितियों में, जिन आधारों के लिए प्रार्थना की गई थी, उनसे अलग होकर एक गंभीर गलती कर रहा हूं, और भावी पीढ़ी मुझे एक खराब मिसाल कायम करने के लिए माफ नहीं करेगी। यह केवल न्यायपालिका (जो सर्वोच्च है) और प्रणाली (जो शून्य प्रतिभूति है) के हित के लिए है जिसने मुझे अलग नहीं होने के लिए मजबूर किया है।

आदेश *

1. हमने जे. अरुण मिश्रा द्वारा प्रसारित मसौदा राय का अध्ययन किया है। अलग होने के लिए एक आवेदन पर विचार किया गया है और उस पर विचार किया गया है।

इस मामले में, पीठ के संबंधित सदस्य द्वारा, जिसकी भागीदारी पर आपत्ति की जानी चाहिए।

2. इस संवेदनशील मुद्दे पर पीठ के अन्य सदस्यों द्वारा अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण-ऐसे मामलों में, सबसे अच्छा सारांश इस दृष्टिकोण से है -

जस्टिस मदन बी. लोकुर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य। बनाम भारत संघ 2016 (5) 808 जहाँ इसे निम्नानुसार कहा गया थाः

" मेरी सम्मानजनक राय में, जब किसी न्यायाधीश को किसी मामले की सुनवाई से अलग करने के लिए आवेदन किया जाता है, तो आवेदन संबंधित न्यायाधीश को किया जाता है, न कि समग्र रूप से पीठ को। इसलिए, मेरे विद्वान भाई जस्टिस खेहर बिल्कुल हैं। यह कहना सही है कि निर्णय पूरी तरह से उनका है, और मैं उनके निर्णय का सम्मान करता हूं।

539. न्यायालय में अपने स्वयं के प्रस्ताव पर सुनाए गए एक विस्तृत आदेश में v. राज्य और अन्य। ज्वैल रिज कोयला निगम बनाम में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ दिया गया था। स्थानीय संख्या 6167, यूनाइटेड माइन वर्कर्स ऑफ

अमेरिका 325 यू. एस. 897 (1945), जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी कारण के निर्णय में भाग लेने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के बारे में शिकायत ठीक से नहीं हो सकती है।

समग्र रूप से न्यायालय को संबोधित किया जाए और यह है

प्रत्येक न्याय की जिम्मेदारी अपने लिए निर्धारित करने के लिए

किसी मामले से पीछे हटने का औचित्य।

540. इस दृष्टिकोण को न्यायमूर्ति रेहंक्विस्ट ने हनराहान बनाम में प्रतिपादित किया था। हैम्पटन 446 यूएस 1301 (1980) निम्नलिखित में शब्दः

* एड। ध्यान दें: इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, एम. आर. शाह द्वारा पारित आदेश,

और एस. रवींद्र भट, जे. जे.

इंदौर विकास प्राधिकरण v. मनोहर लाल और ओआरएस।

वादी-इन मामलों में उत्तरदाताओं और उनके वकील ने प्रस्ताव दिया है कि मुझे इस मामले में कार्यवाही से अलग कर दिया जाए। उनके 14 पृष्ठ के प्रस्ताव में बताए गए कारण और उनके पाँच

3 अप्रैल, 1980 को इस न्यायालय के लिपिक के पास दायर किए गए परिशिष्ट। कार्रवाई में राज्य-प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव का विरोध किया जाता है। चूँकि आम तौर पर न्यायालय एक संस्था के रूप में ऐसे प्रस्तावों को छोड़ देता है, भले ही उन्हें संबोधित किया जाए, व्यक्तिगत न्यायाधीशों के निर्णय पर जिन्हें वे संदर्भित करते हैं, देखें ज्वेल रिज कोल कॉर्पोरेशन v. खान कर्मचारी 325 यू. एस. 897 (1945) (पुनः सुनवाई के लिए याचिका का खंडन) (जैक्सन, जे., सहमत), मैं प्रस्ताव को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करूँगा। मैंने प्रस्ताव, परिशिष्ट, राज्य प्रतिवादियों की प्रतिक्रिया, 28 यू. एस. सी. 455 (1976 संस्करण) पर विचार किया है। और सप। II), और वर्तमान अमेरिकन बार एसोसिएशन कोड ऑफ ज्यूडिशियल कंडक्ट, और प्रस्ताव तदनुसार है

मना कर दिया। ' 541. अलग होने के मुद्दे को कानूनी बारीकियों के अलावा थोड़ा अलग तरीके से देखा जा सकता है। यदि पाँच न्यायाधीशों की पीठ में, अलग होने के लिए एक आवेदन दायर किया जाता है तो क्या होगा

न्यायाधीश ए और आवेदन को सुनने के बाद न्यायाधीश ए मामले से अलग होने का फैसला करते हैं लेकिन अन्य चार न्यायाधीश असहमत होते हैं और यह राय व्यक्त करते हैं कि न्यायाधीश ए के सुनवाई से अलग होने का कोई उचित कारण नहीं है? क्या ए को जज किया जा सकता है

भले ही वह सुनवाई से अलग होने का इच्छुक हो, लेकिन मामले की सुनवाई करने के लिए मजबूर? यह ऐसी कठिन स्थिति से उबरने के लिए है कि अलग होने का आवेदन वास्तव में एक व्यक्तिगत न्यायाधीश और समग्र रूप से पीठ नहीं।

542. जहाँ तक न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ का विचार है कि आवेदन पर निर्णय लेते समय कारण दिए जाने चाहिए।

अलग होने के लिए, मैं उस निर्णय में शामिल नहीं होना पसंद करूंगा। सबसे पहले, कारण देना या न देना कोई मुद्दा नहीं था हमारे सामने। वर्तमान में जो कारण दिए जा रहे हैं, वह पूरी तरह से अलग मामला है। दूसरा, कारण बताना कुछ कठिनाइयों से भरा होता है। उदाहरण के लिए, यह संभव है कि किसी दिए गए मामले में, उच्च न्यायालय का एक विद्वान न्यायाधीश किसी मामले से अलग होने के लिए एक आवेदन स्वीकार करता है और एक पक्ष उस आदेश को इस न्यायालय में चुनौती देता है। पक्षकारों को सुनने पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कारण [2019] 15 एस. सी. आर.

विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिया गया आदेश तुच्छ था और इसलिए आदेश गलत है और फिर उसे दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में,

यह न्यायालय एक परिणामी आदेश पारित करता है जिसमें विद्वान न्यायाधीश को मामले की सुनवाई करने की आवश्यकता होती है, भले ही वह वास्तव में मानता हो।

कि उसे मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि मिश्रा, जे, का अलग होने के आवेदन को अस्वीकार करने का विचार, ऐसा विषय नहीं है जिस पर हम टिप्पणी कर सकते हैं। 4. मिश्रा, जे द्वारा लागू कानूनी सिद्धांतों के संबंध में उनकी राय में टिप्पणियों के संबंध में, हमारा विचार है

कि वर्तमान पीठ में गुण-दोष पर निर्देश की सुनवाई में उनकी भागीदारी में कोई कानूनी बाधा या बाधा नहीं है।

5. हम देखते हैं कि उनके आदेश में पिछले कई उदाहरणों का हवाला दिया गया है

6. न्यायमूर्ति मिश्रा के आदेश में उल्लिखित उन और अन्य कारणों के लिए, हम उनके इस तर्क और निष्कर्ष से सहमत हैं कि कोई भी कानूनी सिद्धांत या मानदंड वर्तमान पीठ में उनकी भागीदारी को प्रतिबंधित नहीं करता है जो संदर्भ की सुनवाई करने के लिए है। उद्धृत पूर्ववर्ती और न्यायालय की प्रथा, इसके विपरीत इंगित करती है, अर्थात वह न्यायाधीश जिसने पिछले कारण का निर्णय किया है, अंततः, बाद की, बड़ी पीठ में भाग ले सकता है और बहुत बार भाग लिया है, जिसमें इस तरह के पिछले निर्णय को पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। 7. उपरोक्त कारणों से, और मिश्रा, जे के आदेश में निहित कारणों को ध्यान में रखते हुए, उनके अलग होने के अनुरोध की अस्वीकृति को रेखांकित करते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि इस पीठ को सुनवाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए और उसके गुण-दोष के आधार पर उस पर निर्णय लेना चाहिए।

देविका गुजराल

न्यायपीठ द्वारा गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए निर्देश।